



ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013





दृष्टिकोण

पर्यावरण के प्रति सजग रहते हुए पूर्वोत्तर में श्रेष्ठ पेट्रोकेमिकल प्रतिष्ठान के रूप में उमरे, संशोधकों को सही कीमत प्रदान करे, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और सेवाएं मुहैया कराए तथा आर्थिक प्रगति में योगदान दे।

उत्पादन/स्रोत के जरिए पेट्रोकेमिकल खंड में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराना तथा श्रेष्ठ उत्पादनों का विपणन, कार्यक्षमता का विस्तार करना और अपने ग्राहकों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखना।

लक्ष्य



निदेशक मंडल



श्री बी सी त्रिपाठी
अध्यक्ष



श्री पी एन प्रसाद
प्रबंध निदेशक



श्री ओ पी टेलर
निदेशक (वित्त)
01.07.2013 से प्रभावी



श्रीमती नीलकमल दरबारी



श्रीमती सुषमा तैशेटी
20.12.2012 से प्रभावी



श्री आर के दत्त



श्री आर टी जिंदल



श्री दीपक चक्रवर्ती



श्री टी के अनंथ कुमार



श्री एस एल रैना
(31.05.2013 तक)



श्री एस वेंकटरमण



श्री पी के जैन



श्री पी सी शर्मा



श्री गौतम बरुवा



विषयसूची

सूचना	02
अध्यक्ष का संदेश	07
निदेशकों का प्रतिवेदन	08
प्रबंधकीय परिचर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन	14
निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन	20
सांचिविक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	27
निगमित सुशासन अनुपालन प्रमाण-पत्र	29
शेयरधारकों के लिये लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	30
तुलन पत्र	35
तुलन पत्र अनुलग्नक की टिप्पणियां	38
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	58
भारत के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	65



पंजीकृत कार्यालय

होटल ब्रह्मपुत्र अशोक
एम जी रोड, गुवाहाटी
असम-781001

परियोजना स्थल कार्यालय

लेपेटकाटा
पी ओ-लेपेटकाटा
जिला-डिब्रुगढ़
असम-786006

परियोजना कार्यान्वयन कार्यालय

तृतीय तल, गैल परीक्षण प्रतिष्ठान
24, सेक्टर-16 ए, नोएडा
उत्तर प्रदेश-201301

बैंकर्स

पंजाब नेशनल बैंक

- गोयनका मार्केट,
जालुकपाड़ा
डिब्रुगढ़
असम

- लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांच
टॉल्सटाय हाउस
टॉल्सटाय मार्ग
नई दिल्ली-110001

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

थाना चाराली
डिब्रुगढ़, असम-786006

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स दास एंड शर्मा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
दुर्गा भवन, दूसरा तल्ला
ए टी रोड, भरलुमुख
गुवाहाटी-781009



सूचना

आगामी 29 अगस्त 2013 को होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, एमजी रोड, गुवाहाटी 781001 स्थित पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित व्यापार के लेनदेन हेतु कंपनी की छठी वार्षिक आम सभा की सूचना दी जाती है।

सामान्य कार्य

- 1) 31 मार्च, 2013 तक लेखा परीक्षित बैलेंस शीट (तुलन पत्र, अध्यक्षीय प्रतिवेदन द स्टेट्यूटोरी वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन और भारत के महानिवंधक एवं लेखपरीक्षक का टिप्पणी महालेखा तथा की प्राप्ति, विचारायी एवं अपनाने हेतु।
- 2) श्री बी सी त्रिपाठी, के स्थान पर नये अध्यक्ष की नियुक्ति करना, जो क्रमानुसार सेवा निवृत्त हो जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हुए, स्थान पर अध्यक्ष की नियुक्ति और पान्तर होने पर श्री त्रिपाठी की पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव लाने हेतु।
- 3) श्री आर के दत्त, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हुए, स्थान पर निदेशक की नियुक्ति और पान्तर होने पर श्री दत्त की पुनः नियुक्ति हेतु प्रस्ताव लाने के लिए।
- 4) श्री दीपक चक्रवर्ती के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति जो क्रमानुसार सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पान्तर होने पर श्री चक्रवर्ती की पुनः नियुक्ति पर प्रस्ताव रखे हेतु।
- 5) श्री पी के जैन, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति जो क्रमानुसार सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पान्तर होने पर उनकी पुनः नियुक्ति पर प्रस्ताव लाने हेतु।
- 6) वर्ष 2013-14 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की पारितोषिक को कंपनी अधिनियम 1956 का धारा 224 (8) (एए) के नियम के अधीन निदेशक मंडल की सामान्य प्रावधान से अधिकृत करने।

निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए महा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक लेखाकाठें के पारितोषिक को तय करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने निर्णय किया।

विशेष कार्य

- 7) निम्नलिखित प्रस्तावों को संशोधित अथवा बिना संशोधन के प्रस्ताव के रूप में सामान्य प्रस्ताव पारित करना :



विश्लेषण यह है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 257 के नियम के आधार पर 20.12.2012 के प्रभाव से श्रीमती सुषमा तैशेटी को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था की तब इसके जारिए कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जो क्रमानुसार सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

8. निम्नलिखित प्रस्तावों को विशेष प्रस्ताव के रूप में संशोधित और बिना संशोधित पारित करने हेतु अनुग्रह :

“प्रस्ताव पारित किया जाता है की शेयरधारकों द्वारा पूर्व प्रस्तावों का दर्खास्तगर के बाद कंपनी अधिनियम की धारा 81 तथा अन्य सभी प्रयोज्य प्रावधानों यदि कोई हो और (अन्य प्रयोज्य कानून ज्ञापन से संबंध प्रावधानों तथा कंपनी के संस्थापन अधिनियम आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का दिनांक 16.11.2011 को मिली मंजूरी तथा दिनांक 18.10.2006 को हुए संयुक्त उपक्रम समझौते के अनुसार कंपनी को निदेशक मंडल (बोर्ड) जिसमें बोर्ड द्वारा गठित समिति या एक से अधिक निदेशकों बोर्ड द्वारा प्रत्येक 10 प्रति मुल्य के शेयर समान मुल्य पर उल्लिखित अनुपात के आवंटित किया गया है, चाहे वे आवंटित कंपनी के सदस्य हो या ना हो। निम्नलिखित प्रोमोटर्स को निम्नलिखित अनुपातों में कुल ₹ 13,00,00,00,000 (एक हजार तीन सौ करोड़ मात्र) शेयरों को वाट दिया गया :

गैल (इंडिया) लिमिटेड 16, भिकाईजी कामाप्लेस नई दिल्ली 110066	70%
ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान 786602 असम	10%
नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड 122 ए, जीएस रोड, क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी 781005, असम	10%
असम सरकार असम सचिवालय दिसपुर गुवाहाटी 781006 असम	10%

पारित प्रस्ताव में बोर्ड को समय समय पर अपने विवेक से इक्विटी शेयर जारी तथा आदरित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। बराबर अंशों को जारी और मंजूरी करने में इसे प्रभावशाली बनाने के अद्देश्य से कंपनी की ओर से बोर्ड के पास अधिकार है कि वह बगैर सीमा, जारी करने के प्रपत्र और तरीका निवेशकों के वर्ग के बारे में अपने स्वतंत्र विवेक से निर्णय ले।

यह भी कहा गया है कि बोर्ड सभी संदर्भों में समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्णय किए हुए इक्विटी शेयरों को पूर्ण रूप से अपनी इच्छानुसार जारी और आवंटन करने हेतु अधिकृत है।



ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड

यह कहा गया है कि इकवटी शेयरों को जारी और आंवटन को लागू करने के मामले में बोर्ड कंपनी की ओर से अपनी इच्छानुसार अधिकृत है।

पारित प्रस्ताव में शेयरों को जारी और आंवटित करने को लेकर उत्पन्न सभी विवादों, सवालों तथा कठिनाइयों को दूर करने के मामले में बगैर सदस्यों की सहमति से बोर्ड कदम उठाने को अधिकृत है”

दिनांक : 29.07.2013

गुवाहाटी

निदेशक मंडल के निर्देशानुसार

हस्ता

(रुली दास सेन)

कंपनी सचिव

नोट्स

- 1) कंपनी की बैठक में शामिल होने तथा मतदान करने के लिए एक सदस्य को अपने स्थान पर मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि को अधिकार देना होगा, जो कंपनी का सदस्य न हो। प्रतिनिधि प्रपत्र बैठक के 48 घंटे के भीतर अच्छी तरह भरकर कंपनी के पंजीयन कार्यालय में जमा कराना होगा।
- 2) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 173 (2) के अधीन व्याख्यात्मक बयान इसमें संलग्न है और सभी दस्तवेज कंपनी के पंजीयन कार्यालय में साधारण कार्य दिवस में जांच के लिए उपलब्ध है।



कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 (2) के संदर्भ में व्याख्यात्मक बयान।

कार्यसूची सं. 7

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की निदेशक श्रीमती सुषमा तैशेटी को एमओपी एंड एनजी द्वारा पत्र सं. एल-12018- 6-2010-जीपी -II दिनांक 15 नवंबर, 2012 के जरिए डा. नीरज मित्तल के स्थान पर कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 20 दिसंबर 2012 तक उन्हें इस वार्षिक आम सभा की समाप्ति तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बोर्ड ने उनकी नियुक्ति को क्रमानुसार सेवानिवृत्त निदेशक के स्थान पर अनुस्तं का है।

कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 257 के अधीन श्रीमती सुषमा तैशेटी को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव के संदर्भ में एक सदस्य से सूचना प्राप्त हुआ। नियमित अभिभाषण प्रतिवेदन में श्रीमती सुषमा तैशेटी की संक्षिप्त व्यक्तित्व का परिचय दिया गया है।

आपके निदेशकों ने शेयरधारकों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव को पारित किया है। श्रीमती सुषमा तैशेटी को छोड़कर बाकी किसी भी निदेशक को इस प्रस्ताव में रूचि नहीं है।

कार्यसूची सं. 8

कंपनी का अधिकृत शेयर पूंजी बढ़कर प्रत्येक के लिए 12,00,00,000 (बारह सौ करोड़ मात्र) को 1,20,00,00,000 (एक सौ और बीस करोड़) में भाग कर प्रत्येक के 10 कर निष्पक्ष शेयर 20, 00, 00,000,000 (दो हजार करोड़ मात्र) को 200, 00,00,000 (दो सौ करोड़) से भाग देकर 10 रूपए (दस) का प्रत्येक निष्पक्ष शेयर हो गया।

वर्तमान कंपनी के जारी और चुकाया अंश मूलधन 1132, 87,15,000 (एक हजार एक सौ बत्तीस करोड़ अट्ठासी लाख पंद्रह हजार छह सौ मात्र है।

कंपनी के सम्मेलन के दौरान संघ के स्मारक पत्रों के लिए ग्राहकों को 700 रूपए का न्यायिक शेयर प्रदान किया गया। तत्पश्चात परियोजना लागत के आधार पर न्यायिक शेयर उठा। संशोधित परियोजना लागत के आधार पर 16.11.2011 को आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति ने न्याय भाग को 10,40,00,00,000 (एक हजार चालीस करोड़ मात्र) से 12,69,00,00,000 (एक हजार उनसत्तर करोड़ मात्र) तक बढ़ा दिया। एंकाउट में लेते हुए मेमोरेंडम के ग्राहकों के लिए मंजूर की गई इक्विटी अंश अब 12,69,00,00,700 रूपए (एक हजार दो सौ उनसत्तर करोड़ सात सौ मात्र) है।

जेवी समझौता के अनुसार कंपनी का अनुमानिक पूंजी कसी भी समय पर निम्नलिखित अनुपात में मंजूर किया गया और प्रमोटर्स को योगदान के विचारणीय अनुपातों तथा स्वीकृत व्यापार नियम सहित एक रेखा में कॉल किए गए।

गैल	70%
ऑयल	10%
एनआरएल	10%
असम सरकार	10%



ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड

जेवी समझौते के नियमावली में, परियोजना के लिए सहमति हुए इक्विटी शेयर अनुपात को कंपनी द्वारा समय-समय पर सहयोगियों के अंशों की अनुमानिक करने का उद्देश्य निहित है।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 81 के अनुसार, इंटर-एलिया के दो वर्ष बाद किसी भी समय या उस कंपनी में अंशों की मंजूरी के खत्म लेने के एक वर्ष बाद, जो भी पहले हो, कंपनी के अनुमानिक पूंजी को बढ़ाने का प्रस्ताव है

27.08.2012 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में अंशधारकों ने बोर्ड को 12,69 00,00,000 रूपए तक की

राशि को समय समय पर जारी, प्रस्ताव और मंजूरी हेतु बोर्ड को अधिकृत किया।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 81 और सभी प्रायोज्य धाराओं के नियमों के अनुसार अंशधारकों की सहमति पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अंश जारी करने का अधिकार देता है।

आपके निदेशक अंशधारकों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव का परामर्श देते हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक नामित निदेशकों को अवसर देने को होड़ प्रस्तावित प्रस्ताव के चिंता/दिलसस्पी नहीं है।



अध्यक्ष का संदेश

प्रिय सदस्य,

मैं आपके साथ आपकी कंपनी की छठी वार्षिक रिपोर्ट को साझाकर अपने आप को खुश किस्मत मानता हूँ और इस अवसर को असम गैस क्रेकर प्रोजेक्ट के प्रगति के संदर्भ में सूचित करने के अवसर के लिए मानता हूँ।

गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत तक कुल मिलाकर वस्तुगत प्रदर्शन 91 प्रतिशत जिसमें 23.4 प्रतिशत वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया। बीसीपीएल कार्यबल के समर्पित प्रयास को देखते हुए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह परियोजना शीघ्र ही वास्तविक रूप में पूर्ण होगा और बीसीपीएल परियोजना पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास में मददगार साबित होगा, जिससे असम के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

भारतीय पॉलिमर सेगमेंट की प्रगति देश के जीडीपी से दोगुना अधिक है। निर्देश चिह्न के अनुसार एथीलिन की संचालन दर अंतराष्ट्रीय बाजार में 86 पॉलिमर है मगर यही चीज भारत में 95 प्रतिशत से भी अधिक है। यह बात प्रमाणित करती है कि अंतराष्ट्रीय सहित घरेलू बाजार में भी इसकी मांग बढ़ी है। उम्मीद है कि कुछ वर्षों में इसकी मांग को देखते हुए इसकी दर में और बढ़ोत्तरी होगी। आगामी दो-तीन वर्षों में एशिया में एथीलिन उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के लिए यह अच्छी खबर है। निकट भविष्य में यह आपके कंपनी के उत्पादनों के लिए बाजार स्थापित करने का शुभ लक्षण है।

असम सरकार द्वारा तिनसुकिया में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए क्रेकर के साथ कदम केवल महत्वपूर्ण पहल ही नहीं है बल्कि इससे पालीमर के स्थानीय खपत में तेजी भी आएगी, साथ ही इस इलाके में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। केवल रोजगार ही नहीं बल्कि प्लास्टिक प्रसंस्करण पार्क के जरिए पूर्वोत्तर में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत में भी बढ़ोत्तरी होगी। बीसीपीएल उत्पादकों का एक भाग

खरीद-फरोख्त करने वाला गेल (इंडिया) लिमिटेड भी उत्पादक निकास एवं बिक्री करने हेतु भारत के विभिन्न प्रांतों तथा नजदीकी राष्ट्रों में काम कर रहा है। परियोजना को स्थापित करने के निकट पहुंचते हुए भारत सरकार और प्रोत्साहकों क्रमशः गेल (इंडिया) लिमिटेड, असम सरकार, नुमलीगढ़ शोधनागार लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड से परियोजना के शीघ्र ही पूर्ण करने हेतु लगातार सहयोग की आशा करते हैं।

पूरे वर्ष में कार्यबल बढ़ाने तथा योजनाप्रणाली और प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। इसके अलावे आपके कंपनी में कार्य संस्कृति को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके कंपनी द्वारा अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति काम करते हुए सड़कों का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्रों में कमरों का निर्माण तथा ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। आपकी कंपनी विकास कार्य के प्रति भी सजग रहते हुए उचित कदम उठा रही है।

मैं आपके कंपनी के प्रबंधन हेतु बोर्ड के व्याख्या को अंशधारकों का दीर्घकालीन सम्मान के लिए स्पष्ट रूप से दोहराना चाहता हूँ। इस वार्षिक रिपोर्ट के अंश स्वरूप कार्पोरेट अभियान पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है।

असम गैस क्रेकर परियोजना एक चुनौती भरा सफर है। यह परियोजना निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मैं आपको आश्वासन करता हूँ कि इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए हम दिलोजान से लगे हुए हैं और एक सुनहरा भविष्य के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए मुझे आप सब का निरंतर समर्थन चाहिए।

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष



निदेशको का प्रतिवेदन

प्रिय शेयरधारकों

आपकी कंपनी के छठे वार्षिक रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2013 तक वर्ष की समाप्ति पर मुझे आपके साथ जानकारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

परियोजना प्रगति

आपकी कंपनी परियोजना को पूर्ण करने के अब अंतिम चरण में है और सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष भर में निर्धारित 97.9 लक्ष्य की जगह 91 प्रतिशत वस्तुगत लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है।

संशोधित परियोजना लागत एवं समय निर्धारण

16 नवंबर 2011 के आर्थिक मामलों (सीसीई) के कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद तय सीमा सहित 8920 करोड़ रु. की संशोधित परियोजना लागत जुलाई 2013 तक सभी तकनीकी काम पर जोर दिया गया था और दिसंबर 2013 के तय समय सीमा पर पुनःकरण के लक्ष्य पर कार्य जारी है।

मुख्य बातें

- संपूर्ण अभियांत्रिकी : संपूर्ण अभियांत्रिकी का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- क्रम : सभी मांगें गए सामानों (एसआरएस) को दे दिया गया। 03 बल्क एसआरएस पाइपिंग कारे छोड़ सभी क्रम को पूर्ण कर लिया गया। 03 बल्क मेटेरियल एमआर्ज (पाइपिंग) को 15 मई 2013 तक अंतिम रूप दे दिया गया हैं।
- कारीगरी और प्रतिपादन : कुल 1091 मशीनों से 1076 निर्माण स्थल पर प्राप्त किया गया।
- निविदा संबंधी : सभी 114 निविदाओं को पूर कर दिया गया।
- बल्क सामग्रियां : 98.5 प्रतिशत पाइपिंग सामानों को निर्माण स्थल में पहुंचाने की आशा है।

- निर्माण : सभी प्रमुख प्रक्रिया इकाइयों एवं ऑफसाइट का असामरिक कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। तकनीकी, विद्युत संबंधित और मशीनरी कार्य तेजी से जारी है। कुल 1091 मशीनों में से 792 मशीनों को निर्माण स्थलो में खड़ा कर दिया गया है। निर्माण स्थल पर लगभग 6000 श्रमिक औसतन कार्य कर रहे हैं। यूटिलिटीज और ऑफसाइट्स यूनिटों में प्री-कमिशनिंग और कमिशनिंग कार्य प्रारंभ की जा चुकी है। 48 किमी. 18'' ओडी दुलियाजान लेपेटकाटा, दुलियाजान पाइपलाइन का हाइड्रोजांय पूर्ण किया जा चुका है। गैस स्वीटनिंग इकाई सी



एथिलीन क्रेकर इकाई में गैसोलिन फ्रेक्सनेटर स्थापित करते हुए

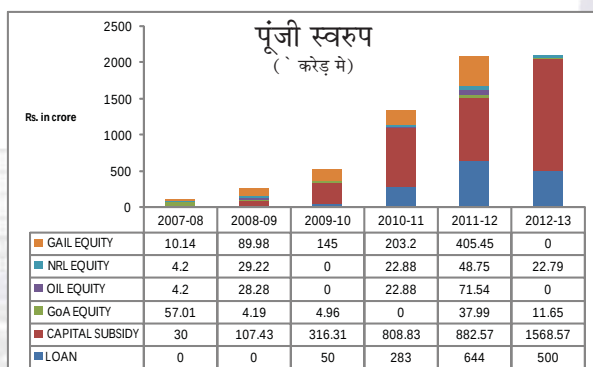


2+ रिकॉवरी इकाई, बीसीपीएल, लेपेटकाटा में सभी मशीनों को स्थापित कर दिया गया है और प्री-कमिशनिंग गतिविधियां प्रगति पर हैं। नापथा, पायरोलायसिस फ्यूल ऑयल (पीएफओ) और पायरोलायसिस गैसोलिन हेतु भंडारण टैंक तैयार हैं।

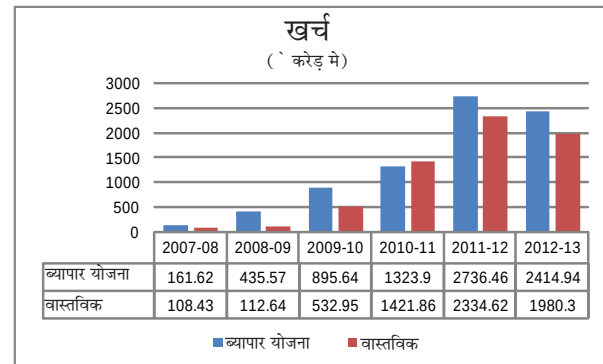
वित्तीय प्रगति

पूरा होने के निकट इस परियोजना में मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धताएं सहित ₹ 8411.04 करोड़ की वृद्धि हुई है और समीक्षा के अधीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 72.77 प्रतिशत वित्तीय प्रगति होने का लक्ष्य है। वर्तमान वर्ष के 6490.81 करोड़ रुपये के एकजुट खर्च में से वर्ष भर में कुल ₹ 1980.30 करोड़ खर्च हुआ। आपके कंपनी का अधिकृत अंश 2000 करोड़ रुपये का है जबकि भुगतान-पूंजी 1057.95 करोड़ तक पहुंच चुका है। वर्ष के भीतर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार से 1568.57 करोड़ रुपये पूंजी सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी के पार्किंग से ब्याज की कमाई (शुद्ध कर) 16.57 करोड़ रुपये सहित प्राप्त हुआ, जो वर्ष 2012-13 के पूंजी सब्सिडी में जोड़ दिया गया।

वर्ष की समाप्ति तक भारत सरकार से पूंजी सब्सिडी के तौर पर 3713.70 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई। जिसमें से ₹ 59 करोड़ की राशि खर्च नहीं हुई है। वर्ष के दौरान ओआईडीबी और आयल से रुपये 500 करोड़ निकाले गए सूरक्षित कर्ज के में 31 मार्च, 2013 तक सूरक्षित 1477 करोड़ रुपये हो गई हैं।



व्यापार नीति 2012-13



वर्तमान वर्ष की लिए व्यापार योजना ₹ 2414.94 करोड़ का था, जिसमें वास्तविक खर्च ₹ 1980.30 करोड़ रूप रहा। कैपेक्स मद के मुख्य खर्चों में प्लांट और मशीनरी (₹ 1454.89 करोड़) अभियांत्रिकी लागत (₹ 67.11 करोड़) निर्माण स्थल से संबंधित सुविधाएं (₹ 212.24 करोड़) ऑयल और ओएनजीसी की बुनियादी लागत (₹ 71.96 करोड़) शामिल है।

ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी अवशोषण, विदेशी विनियम उपार्जन और बहिर्गामी

आपकी कंपनी परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है, कंपनी अधिनियम 1956 के 217 (1)(5) के आधार पर कंपनी (निदेशक मंडल के प्रतिवेदन में विवरणों का खुलासा) नियम, 1988 के अनुसार ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी अवशोषण, विदेशी विनियम उपार्जन और बहिर्गामी के संदर्भ में प्रकट करने के विषय नहीं है। मगर वर्ष भर में तकनीक जानकारी के आयात, स्थानीय ठेके और आपूर्ति के खाते में ₹ 481.30 करोड़ रुपये कुल विदेशी विनियम मुद्रा व्यय हुआ है जिसकी समीक्षा हो रही है।

कर्मचारियों के विवरण

वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2013 तक कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ भांपते हुए कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 217 (2ए) के अधीन निर्धारित कोई भी कर्मचारियों ने पारितोषिक ग्रहण नहीं किया।



श्री बी सी त्रिपाठी, अध्यक्ष के साथ श्री एस आई हुसेईन, आयुक्त, उपरी असम, श्री पी एन प्रसाद, प्रबंध निदेशक, श्री एस वेंक्टरमन, निदेशक और अन्यलोग छठे बी.सी.पी.एल. दिवस दिन को मनाते हुए

मानव संसाधन

आपकी कंपनी ने मानव पूंजी को अहम मानते हुए समझा कि वर्तमान में संगठन में उपलब्ध प्रतियोगात्मक संसाधनों में कार्यबलों के स्थानांतरण तथा तकनीक में तेजी से बदलाव के मामलों में मानव पूंजी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच योग्यता तथा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाते हुए एक अच्छे कर्मी के रूप में परिवर्तित करना एचआर विभाग का प्रमुख कार्य है। आज के इस युग में कर्मचारियों को कंपनी के प्रतिउत्साहित करना कंपनी के उद्देश्य में निहित है। इसी भावना का फल है परियोजना को शीघ्र पूरा करने में कर्मचारियों का अमूल्य योगदान।

31 मार्च 2013 तक कंपनी के पास 205 कर्मचारी हैं। जिसमें 65 फीसदी पूर्वोत्तर प्रांत के हैं। इसके अलावे 45 अधिकारी प्रायोजक कंपनियों का ओर से सेकेंड मेंट/डियुटेशन पर हैं।

आपकी कंपनी में स्थापना तथा प्लांट के रखरखाव को लेते हुए कुल कर्मचारियों की संख्या 620 (426 कार्यकारी +

194 गैर कार्यकारी) होगी। 130 (कार्यकारी तथा 93 गैर कार्यकारी के चयन को लेकर प्रेस विज्ञापन जारी किया जा चुका है और आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। जिनकी जांच चल रही है। एक ही समय में चयन प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। अधिक ध्यान महिलाओं और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों पर दिया जा रहा है जो कुल कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 17 प्रतिशत और 6 प्रतिशत है। निर्माण स्थल में ठेकेदारों के जरिए प्रथिषित/अप्रथिषित/अप्रथिषित श्रमिकों की भी नियुक्ति पर प्रतिशत दी जा रही है।

औद्योगिक संबंध

वर्तमान में लेपेटकाटा के परियोजना स्थल पर 6000 ठेका श्रमिक कार्यरत हैं। यद्यपि निकट भूत में श्रमिक संबंधी कुछ मुद्दे उठे थे मगर प्रबंधन के श्रम अधिकारियों के तुरंत हस्तक्षेप से इन समस्याओं को सुलझा लिया गया। निर्माण स्थली पर लगे श्रमिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सांत्वना अधिकारी की उपस्थिति में सभी प्रमुख ठेकेदारों एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच संधि पर भी हस्ताक्षर हुआ।

आपकी कंपनी ने निर्माण स्थली पर कार्य कर रहे श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए जनशिकायत सुनवाई केंद्र (पीजीआरसी) की भी स्थापना की गई है।

निदेशक मंडल में बदलाव

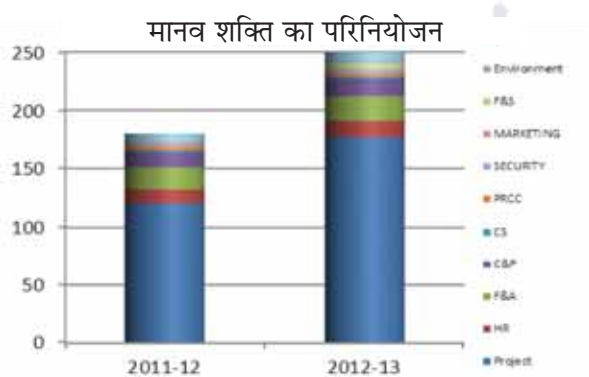
वर्ष भर में समीक्षा के आधार पर निदेशक मंडल में निम्नलिखित बदलाव किए गए:

क) असम सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री आर. टी. जिंदल को जीओए के नामांकन पर श्री जतिंदरवीर सिंह के स्थान पर 22.05.2012 से कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया।

ख) श्रीराकेश कुमार ने निदेशक (वित्त) के स्थान से इस्तीफा दिया और 22/05/2012 से वे निदेशक के पद से मुक्त हो गए।

ग) आई आई टी गुवाहाटी के निदेशक श्री गौतम बरूआ को 27/08/2012 से स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति दी गई।

घ) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (एमओपीएंड एनजी)



गणतंत्र दिवस, २०१३



महिलाएं दोर प्रतियोगिता में भाग लेते हुए



बी.सी.पि.एल. और सी. आई. एस. एफ. के बिच मैत्रिक खेल

की निदेशक श्रीमति सुषमा तैशेटी को एमओपी एंड एनर्जी के नामांकन पर डॉ. नीरज मित्तल के स्थान पर 20/12/2012 से कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया।

कार्पोरेट सामाजिक दायबद्धता

1985 में हुए ऐतिहासिक असम समझौते को ध्यान में रखते हुए आस-पास के इलाके में सामाजिक आर्थिक विकास के मद्देनजर आप की कंपनी को प्रारंभ से ही अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत है। इसीलिए परियोजना के प्रारंभ से ही असम गैस क्रेकर प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करने तथा आसपास के इलाके को विकसित करने हेतु सीएसआर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया।

वर्ष 2012-13 के लिए सीएसआर कार्यक्रमों की पहचान की गई तथा स्थानीय जिला प्रशासन से इस बारे में परामर्श लिया गया। क्रियान्वयन के लिए एक आंतरिक कमेटी ने प्रस्तावों की समीक्षा की और परामर्श दिया।

2012-13 के लिए निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियों को लिया गया :

- (1) काकोति गांव, डिब्रुगढ़ के भाग-2 के 2.30 किमी. सड़क की मरम्मत। सीएसआर 2011-12 के अधीन भाग-1 सड़क की मरम्मत की गई।
- (2) डिब्रुगढ़, शहरी स्वास्थ्यकेंद्र में दो कमरों का निर्माण।
- (3) ऐतिहासिक श्मशान, डिब्रुगढ़ का जीर्णोद्धार।

- 4) मोरान अंध विद्यालय, डिब्रुगढ़ में भिड़ी गिने और बुनाई केन्द्र के लिए दो अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण।
- 5) लेपेटकाटा बंगाली गांव, डिब्रुगढ़ में विद्यमान 11/0.4 केवी/100 केबीए सब स्टेशन को २५० केवीए तक बढ़ाना।
- 6) दुमुरदलंग चाय बागान, शिवसागर में तीन कंप्यूटर और अन्य बुनियादी ढांचा का विकास मुहैया कराना।

जीवनोपयोगी विकास

वर्ष 2012-13 के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ हुई समझौता हस्ताक्षर के आधार पर प्लांट के आसपास 2,21,596 रु. के व्यय से ग्रीन बेल्ट के विकास के इरादे से आपकी कंपनी ने 1000 पेड़ लगाए। स्वच्छ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी निर्माण की सभी गंदगी को सही तरीके से निष्पादन के प्रति कृतसंकल्प है।

सूचना जानने का अधिकार, 2005

सरकारी निर्देश का पालन करते हुए कंपनी ने सूचना जानने के अधिकार कानून, 2005 के तहत एक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी और प्रथम एपीलेट आथोरिटी की नियुक्ति की। वर्ष भर में 22 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका समय सीमा के भीतर जवाब दिया गया।



कार्पोरेट सामाजिक दायबद्धता के तहत डिब्रुगढ़ कब्रस्थान का नवीकरण

वैधानिक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

भारत के महालेखा परीक्षक महानियंत्रक एवं ने पुनः समीक्षा के अंतर्गत मेसर्स दास एंड शर्मा, चार्टर्ड एकाउंटेंट, गुवाहाटी को आपनी कंपनी के वैधानिक लेखाकार के रूप में नियुक्त किया और उनके रिपोर्ट भी यहां संलग्न है।

भारत के महा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम की टिप्पणी

भारत के महा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत 31 मार्च 2013 वर्ष के लिए कंपनी की एकाउंट पर पूरक ऑडिट को अपने जिम्मेदारी में लिया। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पर सी एंड एजी की व्याख्या को भी संलग्न किया गया है।

प्रबंध की चर्चा एवं विश्लेषण समीक्षा

सीपीएसईज हेतु कार्पोरेट अभिशासन अधिनियम पर डीपीई दिशा निर्देश में निर्दिष्ट प्रबंधन चर्चा विश्लेषण वार्षिक प्रतिवेदन का भाग है।

कार्पोरेट अभिशासन

सीपीएसई हेतु कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश में निदेशक मंडल के प्रतिवेदन के अधीन कार्पोरेट अभिशासन पर अलग धारा तथा सक्रिय कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र कार्पोरेट अभिशासन नियमों की स्वीकृति प्रदान करता है।

निदेशक मंडल का उत्तरदायित्वपूर्ण बयान

कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 217 (2ए) के जरूरत के आधार पर आपके निदेशक अपनी जानकारी के अनुसार सुनिश्चित करते हैं :



श्री बी सी त्रिपाठी, अध्यक्ष के द्वारा जलपान भवन का अद्घाटन



- (1) वार्षिक के लेखा जोखा की तैयारी में जरूरी लेखाजोखा के मानकों पालन किया है तथा किसी भी विषय को विमुख नहीं किया गया।
- (2) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने के लिए अकाउंटिंग नीतियों को क्रम रूप से लागू किया गया और जहां भी जरूरत पड़ी न्याय किया गया, विचार किया गया जो न्यायोचित और बुद्धिसम्मत है।
- (3) कंपनी की संपदाओं को सुरक्षित रखने तथा फर्जीवाड़ा से बचने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के नियमों के साथ अकाउंटिंग रिकार्ड के देखरेख हेतु उचित ख्याल रखा जाता है; और
- (4) वार्षिक लेखाजोखा की तैयारी 'चलित निकाय' के आधार पर की गई है।

स्वीकृति

आपके निदेशक रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा-निर्देश और सहयोग के लिए आभारी रहेंगे। आपके निदेशक प्रायोजकों, गैल, ऑयल, एनआरएल, असम सरकार और उसी तरह ऋणदाताओं, ऑयल उद्योग विकास बोर्ड, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावेनकोर और जम्मू एंड कश्मीर बैंक को भी उनके लगातार सहयोग के लिए हृदय सं शुक्रगुजार हैं। परियोजना की प्रगति में लगातार सहयोग के लिए आपके निदेशक इआईएल की पूरी टीम, बैंकर्स, परामर्शदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं और मध्यस्थकारियों का भी आभारी हैं। आपके निदेशकों ने आंतरिक लेखाकारों वैधानिक लेखाकारों तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकारियों के भी परामर्श और सहयोग के आभारी हैं। विभिन्न समस्याओं तथा दिककतों के बीच परियोजना की सफलता में कर्मचारियों की कर्मरठता पर भी आपके निदेशक संतुष्ट हैं।

दिनांक : 24. 06. 2013

स्थान : नई दिल्ली

बी सी त्रिपाठी

अध्यक्ष

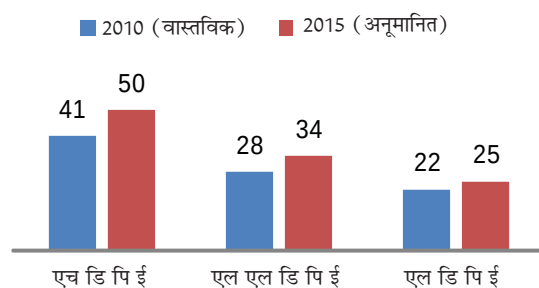


प्रबंधकीय परिचर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन

औद्योगिक ढांचा एवं विकास

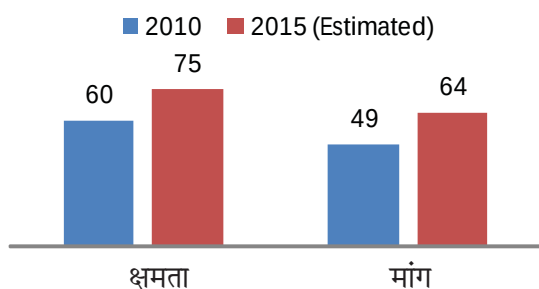
सिंथेटिक फाइबर्स, पोलिमर्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडियरिज, इलास्टोमर्स और परफोर्मेंस प्लास्टिक्स को मुख्य रूप से मिला कर पेट्रोकेमिकल उद्योग ने उत्पादनों को बनाया, जिससे रोजाना व्यवहार के सामानों खचरा बढ़ गया, चाहे वह पैकेजिंग, घरेलु निर्माण, आटोमोबाइल वैद्युतिक उत्पाद, खिलौने, फर्नीचर, बागवानी और चिकित्सा से संबंधित या और कुछ और देश में पेट्रोकेमिकल उद्योग सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। मगर इसका सबसे बड़ा योगदान कृषि और खाद्य उद्योगों में उत्पादन, हेंडलिंग और वितरण के दौरान है। प्रमुख पेट्रोकेमिकल्स में परफोर्मेंस प्लास्टिक्स और पॉलिमर्स सर्वाधिक तेजी से प्रगति पर है। जब के प्रमुख पेट्रोकेमिकल्स के कुल उत्पादन में पॉलिमर्स का उत्पादन 60% से भी अधिक है। यद्यपि अतीत में भारतीय पेट्रोकेमिकल उद्योग भी वैश्वीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है, पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन

वैश्विक पोलिथीलीन क्षमता (एम एम टि)

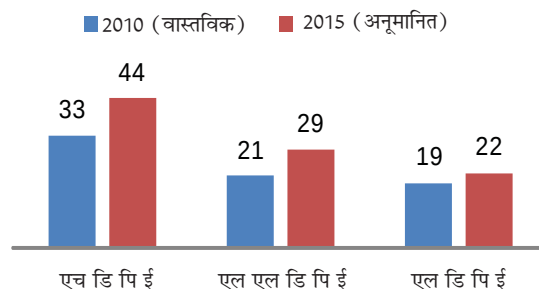


में बढ़ोतरी का आशा किया जा रहा है। पीई और पीपी जैसे प्रमुख प्लास्टिक उत्पात ओलफिन्स, एथीलीन और प्रोपीलीन से निकलता है जो ग्लोबल वेसिक पेट्रोकेमिकल्स में करीब 70% फीसदी शेयर के साथ दो प्रमुख भवन ब्लॉक और मानोमर्स का निर्माण किया गया है। कंपनी के प्राथमिक उत्पाद पालिमर्स पोलिप्रोपिलीन (पीपी), लीनियर लॉ डेंसिरी पोलिएथिलीन (एलएलडीपीई) और

वैश्विक पोलिप्रोपाइलीन क्षमता और मांग (एम एम टि)



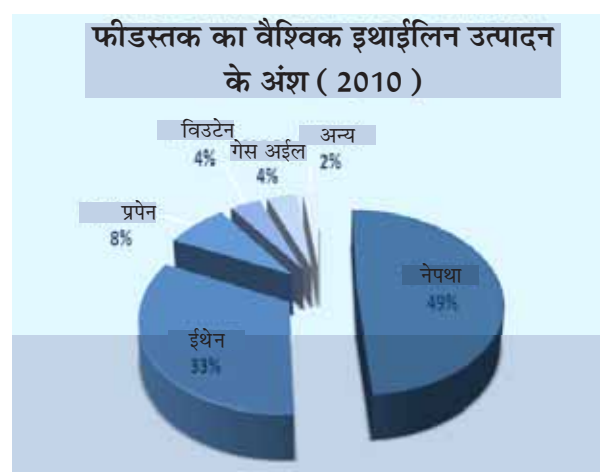
वैश्विक पोलिथीलीन मांग (एम एम टि)





हाईडेंसिटी पॉलिएथिलीन (एचडीपीई) प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण का प्रमुख सामान है। कोमोडिटी प्लास्टिकस जैसे पोलिएथिलीन (पीई), पॉलिप्रोपीलीन (पीपी) पॉलिविनयल, क्लोराइड (पीवीसी) और स्टीरेनिक्स के प्रमुख योगदानों सहित प्लास्टिक की पूरे विश्व में मांग करीब 199 मिलीयन टन तक पहुंच चुकी है।

उद्योगों में सर्वाधिक मात्रा में पॉलिमर पोलिएथिलीन का प्रयोग हो रहा है जबकि आज पोलिप्रोलीन दूसरे स्थान पर



सबसे तेज गति से विकास पर है। उद्योगों को बढ़ाई में कम लागत पर उपलब्ध और तकनीकी रूप से नई सामग्री महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। उद्योग को चलाने के लिए प्राकृतिक गैस और नेपथा प्रमुख स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय

दृष्टि में विशेष रूप से मध्यपूर्व और उत्तर अमेरिका में उचित मूल्य पर उपलब्धता एवं कम मेथानोलन्यू ओलफिन्स एथिलीन की उत्पादकता में तेजी से विकल्प के रूप में उमर कर सामने आया है। भारत के पास प्रति वर्ष 209 मिलियन अमेरिकी क्षमता वाले तीन नेपथा और तीन गैस आधारित क्रेकर इकाई है। कंपनी के स्वयं के इकाइयों सहित चार नए क्रेकर इकाई की शुरुआत 2015 से होने की आश है।

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में पेट्रोकेमिकल्स की सर्वाधिक योगदान सहित आर्थिक प्रगति में भी यह अहम भूमिका अदा कर रहा है। सहयोग प्रदान करने वाले उद्योग के रूप में यह अन्य सेक्टरों के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। यह प्राकृतिक संपदा और मूल्यों पर आधारित उत्पादनों के बीच भी संपर्क का अहम काम अदा कर रही है। पेट्रोकेमिकल्स की बढ़ती बचत आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण संकेत है।

पेट्रोकेमिकल्स में मूल्यों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय मांग-आपूर्ति शक्तियों हुए संचालित है और पॉलिमर के ग्राहक के रूप में पूरे विश्व में भारत का स्थान चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद 5 वें स्थान पर है। भारत में प्रति व्यक्ति 7 किलो की खपत है जबकि विश्व में इसका औसत २५ किलो है। इस लिहाज से देश का योगदान बहुत अधिक नहीं है।

भारत में पॉलिमर की मांग-आपूर्ति में अंतर (केटीए)

उत्पाद	मांग		क्षमता		अंतर	
	2011-12	2016-17	2011-12	2016-17	2011-12	2016-17
एलडीपीई	405	597	205	605	- 200	8
एलएलडीपीई	1198	2076	835	1960	-363	-116
एचडीपीई	1657	2573	1825	3090	168	517
पीपी	2993	5015	4140	4715	1147	-300
पीवीसी	2087	3102	1330	1635	-757	-1467
पीएस + ईपीफसल	340	638	640	666	300	28



आन्तराष्ट्रीय उद्योग के मंदी के दौर में रोजगार सृजन में भारी संख्या में अवसर पैदाकर रही है। डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण मिलियन लोगों को जीवन उपार्जन के क्षेत्र के सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में सामने आई है। आर्थिक पिछड़ेपन से धीरे-धीरे उतरते हुए भारत में विभिन्न पेट्रोकेमिकल सेगमेंटों में निवेश बढ़ी है जिससे हाल ही के दिनों में बाजारों में बढ़ोतरी हुई है। आइओसीएल पेट्रोकेमिकल्स और गैल तथा एचपीएल सहित कुछ योजनावद्ध परियोजनाएं शैतिकी है जबकि अन्य ग्रीनफील्ड योजनाएं अधिकृत है। घरेलू पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में पर्याप्त सरकारी सहयोग की आवश्यकता है ताकि वास्तविक क्षमता प्राप्त कर सके।

शक्ति एवं कमजोरी

पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन में नई तकनीक का अचानक आगे और वैकल्पिक कच्चे माल उपलब्ध होने से कुछ के लिए सुनहरा अवसर है तो कुछ के लिए चुनौती। डुएल फीड तकनीक को अपनाने से परियोजना में अच्छी बात सामने आई है। इस पद्धति से प्राकृतिक गैस से नेपथा को बदलना आसान हो चुका है। फीडस्टोक बाधा नहीं है, इसका घरेलू मांग भी है।

असम समझौते को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को भारत सरकार एवं असम सरकार का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है जिसके कारण उसे आगे बढ़ाने में काफी मदद प्राप्त हो रहा है।

एक बात और इस परियोजना के पक्ष में है कि इसे हाइड्रोकार्बन सेक्टर में अच्छा अनुभव रखने वाले प्रवक्तकों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके प्रारंभ से ही हर मोड़ पर प्रवक्तकों द्वारा सभी संसाधनों की आपूर्ति हेतु सहयोग किया जा रहा है। स्थापित करने और निर्माण गतिविधियों में परियोजना प्रबंधन सलाहकार इआईएल के गहरे अनुभव का लाभ कंपनी को प्राप्त हो रहा है।

किसी भी उद्योग की सफलता के पीछे विपणन की अहम भूमिका होती है। इस क्षेत्र में करीब एक दशक से भी अधिक समयसे कार्य कर रहे गैल के साथ कंपनी का विपणन का

बंधन है। वहीं फीडस्टोक के क्षेत्र में ऑयल, एन आर एल और ओएनजीसी से समझौता है। वहीं डाउन स्ट्रीम परियोजनाओं की सफलता हेतु राज्य सरकार भी सहयोग प्रदान कर रही है। साल के अंत तक असम सरकार द्वारा तिनसुकिया में एक प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। बाजार की दृष्टि से म्यांमा और बंगलादेश जैसे पड़ोसी राज्य पर भरोसा है।

एक बार इस परियोजना से पूरे होने तथा प्लास्टिक उद्योगों के लग जाने के बाद इस क्षेत्र में प्लानिंग तथा निर्माण खंडों में लकड़ियों के प्रयोग को प्लास्टिक के व्यवहार पर अकुंश लगाया जा सकेगा। इससे पूर्वोत्तर में जंगलों की तेजी से हो रही कटाई पर रोक लगाया जा सकेगा। इससे राष्ट्र की आर्थिक अवस्था तथा उपभोक्ता दोनों को लाभ प्राप्त होगा।

इस परियोजना की एक कमजोर पहलु परियोजना की ज्यादा पूंजी निवेश तथा फीडस्टोक सब्सिडी पर निर्भरता है। सरकार द्वारा भविष्य में अपने सहयोग को हटा लेना चिंता का विषय है। बेहतर गुणवत्ता का बिजली तथा उर्जा पर ज्यादा खर्च चिंता का विषय हैं।

अवसर और चुनौतियां

सभी प्रमुख खंडों में प्लास्टिक की मांग ही औद्योगिक विकास का संकेत है। भारत के प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत अमेरिका के 109 किलो, ब्राजील 32 किलो, चीन 29 की तुलना में भारत में 7 किलो होना भविष्य में इसकी बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। घरेलू बाजार में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण विपणन का विकास, खुदरा बाजार का बढ़ना, कृषि ऑटोमोबाइल, टेलीकम्यूनिकेशन का विकास अच्छा संकेत है। पूर्वोत्तर में अन्य किसी प्रतिस्थानों का न होना भी कंपनी के पक्ष में जाता है हांलाकि देश के प्लास्टिक की खपत प्रति व्यक्ति कम है फिर भी यहां अन्य कंपनी से प्लास्टिक उत्पादन पालीइथिलीन की मांग बढ़ रही है।

आर्थिक रूप से अन्य विकसित क्षेत्रों की तुलना में पूर्वोत्तर के कम खर्च पर श्रमिकों की उपलब्धता भी यहां अच्छा अवसर प्रदान करता है। पेट्रोकेमिकल्स उद्योग की मांग अन्य खंडों में आर्थिक वृद्धि से सीधा जुड़ा हुआ है।



पूर्वोत्तर क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य और अनुभवी एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता सीमित है। हालांकि इस मामले में कंपनी को प्रमोटर्स का सहयोग अच्छी बात है।

पर्यावरण का संरक्षण आज के समय की प्रमुख मांग है। प्लास्टिक का व्यवहार और निष्पादन को पर्यावरण के लिए प्रतिकूल मानने की ऋणात्मक धारणा उद्योग के लिए चुनोती है। हालांकि इस ओर बायोडिग्रेबल और फोरोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, उत्पादन के गुणवत्ता के विकास धारणा इस सोच को बहुत हद तक बदला गया है। वनों की कटाई के मामले में फर्नीचर का नया निर्माण कार्य में लकड़ी के बदले प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरण की सुरक्षा संभव है। पेट्रोकेमिकल्स की कीमतों उतार-चढ़ाव आम बात है। यह 6 से 8 वर्ष के अंतराल होता रहता है।

खंड (सेगमेंट) वार या उत्पादनकार प्रदर्शन

कंपनी अब भी परियोजन क्रियान्वयन का चरण में है।

दृष्टिकोण

पॉलिमर्स, सिंथेटिक रबड़ आदि की क्षमता पर ब्लाक निर्माण की मांग है। आनेवाले 5 वर्षों में बिल्डिंग स्लक्सेसों की जरूरत 6.4 एमएमटी से 13.5 एमएमटी करने का प्रस्ताव 11 वीं योजना अवधि के दौरान कोमोडिटी पॉलिमर्स 11.9% (सीएजीआर) बढ़ी है जबकि केपेसिटी क्रिएशन 10.8% फीसदी बढ़ी है। इस मामले में भारत तेजी से उभरा है। कोमोडिटी प्लास्टिक की कीमत जीडीपी से अधिक बढ़ी है, और उम्मीद है कि 11वीं योजना अवधि में यह 10% लगभग (सीएजीआर) बढ़ेगी।

भारत अब पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में बहुत हद तक आत्मनिर्भर है। सरकार अब यह मान चुकी है कि जीडीपी के सरकार के सहयोग में रुकावट भी भविष्य में समस्या उत्पन्न का सकती है।

पूर्वोत्तर में कम स्तर पर निवेश भी डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए भविष्य में चिंता का विषय है। हालांकि तिनसुकिया में सरकार द्वारा प्लास्टिक पार्क की स्थापना का प्रयास राहत प्रदान कर सकता है। यह समय की मांग है कि पड़ोसी

राष्ट्रों विशेष रूप से बंगलादेश और म्यांमार के साथ आपसी निर्भरता बढ़ाया जाए।

निर्माणाधीन स्तर पर होने के बावजूद कंपनी ने अब तक अभिनय संबंधी चुनौतियों को प्रकट नहीं किया है। कंपनी की कानूनी स्वीकृति को निर्धारित समय पर बोर्ड निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा किया जाता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता अपनी संपत्तियों को अनाधिकृत प्रयोग और बचाव के लिए कंपनी ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित की है ताकि संपत्तियों का नुकसान न हो। विश्वसनीय वित्तीय प्रतिवेदन और प्रयोज्य नियमावलियों की स्वीकृति पर उचित ध्यान दिया जाता है। जोखिम प्रबंधन पोलिसी इस और पहले से कार्य कर रही है। चार महीने के अंतराल में आंतरिक लेखापरीक्षकों मेसर्स डेलोइट हास्किंस एंडसेल्स द्वारा आंतरिक आडिट किया जाता है।

कंपनी की प्रगति और गतिविधियों पर लगातार होल्डिंग कंपनी गैल और राज्य एवं केंद्रीय सरकार के प्रबंधक द्वारा उच्चतर स्तर पर निरीक्षण एवं समीक्षा की जाती है।

ऑपरेशनल परफोमेंस से संबंधित वित्तीय प्रदर्शन कंपनी द्वारा वाणिज्यिक ऑपरेशन प्रारंभ करने का कार्य अभी बाकी है।

जोखिम और चिंता

निर्धारित परियोजना में विलंब और लागल में बढ़ोत्तरी सभी अंशधारकों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। निर्धारित समय के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने हेतु प्रयास बढ़ाने का निर्देश दिया गया। हालही में प्रमाण को बढ़ोत हुए 31 मार्च, 2013 तक भौतिक प्रगति 91% पहुंच गई। भारत सरकार द्वारा 15 वर्ष तक फर्म प्रबंध को लेकर आश्वस्त किए जाने के बावजूद भविष्य के लिए यह चिंता का विषय है। भविष्य के फीडस्टोक की कीमत भी चिंता का एक विषय है, क्योंकि उत्पादन की तिथि से प्रत्येक 5 वर्षों में कीमत की समीक्षा की जाती है। फीडस्टोक के रूप में नापथा के



लिए उच्च कच्चे तेल की कीमत दिक्कत पैदा कर सकती है। सब्सिडी के रूप में सरकार के सहयोग में रूकावट भी भविष्य में समस्या उत्पन्न का संकती है।

पूर्वोत्तर में कम स्तर पर निवेश भी डाउन-स्ट्रीम उद्योग के लिए भविष्य में चिंता का विषय है। हालांकि तिनसुकिया में सरकार द्वारा प्लास्टिक पार्क की स्थापना का प्रयास राहत प्रदान कर सकता है। यह समय की मांग है कि पड़ोसी राष्ट्रों विशेष रूप से बंगलादेश और म्यांमार के साथ आपसी सहयोग बढ़ाया जाए।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

अपनी संपत्तियों को अनाधिकृत प्रयोग और बचाव के लिए कंपनी ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित की है ताकि संपत्तियों का नुकसान न हो। विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रयोज्य नियमावलियों की स्वीकृति हेतु पर उचित ध्यान दिया जाता है। जोखिम प्रवन्ध पोलिसी इस और पहले से कार्य कर रही है। चार महीने के अंतराल में आंतरिक लेखापरीक्षकों मेसर्स डेलोइट हास्किंस एंडसेल्स द्वारा आंतरिक आडिट किया जाता है।

कंपनी की प्रगति और गतिविधियों पर लगातार होल्डिंग कंपनी गैल और राज्य एवं केंद्रीय सरकार के प्रबंधक द्वारा उच्चतर स्तर पर निरीक्षण एवं समीक्षा की जाती है।

परिचालन के संदर्भ में वित्तीय प्रतिवेदन

कंपनी का वाणिज्यिक प्रदर्शन होना अभी बाकी है।

मानव संसाधन में वास्तविक विषय विकास, औद्योगिक संबंध मोर्चों जिसमें कामकरनेवालों की संख्या शामिल

आपकी कंपनी गुणवत्ता कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रति समर्पित है। संगठन की सफलता में मानव संपदा की भूमिका को पहचानते हुए कर्मियों को कंपनी के प्रति आकर्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है।

वर्ष में समीक्षा के अंतर्गत मानव संसाधन के मामले में कुछ प्रशंसनीय विकास देखने को मिलता है, जिससे कंपनी के

खुद की भविष्य निधि ट्रस्ट और कर्मचारी कल्याण कमेटी की स्थापना, पदों का निर्णय तथा गैर कार्यकारी को अंग्रिम रूप देना शामिल है। प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली सिस्टम और महिला कर्मचारियों के संपर्क में यौन उत्पीड़न को शिकायत हेतु केंद्र की भी शुरूआत की गई है।

मानव संसाधन बढ़ाने के मामले में स्थानीय लोगो को प्राथमिकता दी जा रही है। 31 मार्च 2013 तक कंपनी के पास 205 कर्मचारी थे जिसमें 45 गैल के और 205 कंपनी के नियमित कर्मचारी है।

निर्माणाधीन स्तर पर होने के बावजूद कंपनी ने अब तक अभियान संबंधी चुनौतियों को प्रकट नहीं किया है। कंपनी की कानूनी स्वीकृति को निर्धारित समय पर निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा किया जाता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता कंपनी ने अब तक अभियान संबंधी चुनौतियों की प्रकट नहीं किया है। कंपनी की कानूनी स्वीकृति को निर्धारित समय पर निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा किया जाता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता कंपनी संपत्तियों को अनाधिकृत प्रयोग और बचाव के लिए कंपनी ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित की है ताकि संपत्तियों के नुकसान न हो। विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रयोग नियमावलियों की स्वीकृति हेतु भी उचित ध्यान दिया जाता है। जोखिम प्रबंधन पोलिसी पहले से कार्य कर रही



राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अनुसरण पर फायर ड्रिल की प्रदर्शन करते हुए

है। चार महीने के अंतराल में आंतरिक लेखपरीक्षकों मेसर्स डेलोइट हास्कंस एंडसेल्स द्वारा आंतरिक आडिट किया जाता है।

कंपनी की प्रगति और गतिविधियों पर लगातार होल्डिंग कंपनी गैल और राज्य तथा केंद्रीय सरकार के प्रबंधन द्वारा उच्चतम स्तर पर निरीक्षण एवं समीक्षा की जाती है।

ऑपरेशनल प्रदर्शन से संबंधित वित्तीय प्रदर्शन कंपनी द्वारा वाणिज्यिक ऑपरेशन प्रारंभ करने कार्य अभी बाकी है।

मानव संसाधन में द्रव्य विकास, औद्योगिक संबंध फ्रंट सहित असंख्य लोगों की नियुक्ति

आपकी कंपनी योग्यकर्मियों की नियुक्ति के प्रति समर्पित है। संगठन की सफलता में मानव संसाधन की भूमिका को समझते हुए कार्या को कंपनी के प्रति आकर्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है।

वर्ष में समीक्षा के अंतर्गत मानव संसाधन के मामले में कुछ प्रशंसनीय विकास देखने को मिलता है, जिसके कंपनी के खुद की भविष्य निधि ट्रस्ट और कर्मचारी कल्याण कमेटी की स्थापना, पदों को तथा गैर कर्मचारी के वेतन को अंतिम रूप देना शामिल है। प्रदर्शन प्रबंधन सिस्टम और महिला कर्मचारियों के संपर्क में यौन उत्पीड़न को शिकायत हेतु केंद्र की भी शुरूवात की गई है।

मानव संसाधन बढ़ाने के मामले में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। 31 मार्च, 2013 तक कंपनी के पास 250 दर्जों थे जिसमें 45 गैल के और 205 कंपनी के नियमित कर्मचारी है।

पर्यावरण रक्षा और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण नवीनीकरण उर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण

आपकी कंपनी को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भलीभांति एहसास है। प्रदूषण नियंत्रण और अन्य पर्यावरण संरक्षण नियमावली के प्रति हम सजग हैं। परियोजना में प्रबंधन द्वारा निर्देशित गंदगी के निष्पादन हेतु एक ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम द्वारा योजना स्थल तक रेल परिवहन के जरिए नेपथा परिवहन हेतु इस वर्ष हरी झंडी मिलना कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एक बा रइ स परियोजना के प्रारंभ होते ही अक्षय ऊर्जा का विकास, अतकीन और विदेशी विनिमय के संरक्षण में सफलता प्राप्त होगी।

कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

परियोजना कार्यान्वयन में सीएसआरके तहत स्वास्थ्य केयर शिक्षा और मूलमूल विकास तथा पर्यावरण के क्षेत्र में समाज के योगदान की सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाया जा रहा है।

आंकड़ा स्रोत : भारत सरकार के 12 वीं पंचवर्षीय योजना पर रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स पर सब ग्रुप की रिपोर्ट

भविष्य का विवरण : इस दस्तावेज में वे विवरण शामिल हैं। जो भविष्यकी घटनाओं से जुड़ी हैं। उस से कंपनी के नियंत्रण से और है उसके परिणाम स्वरूप वास्तविक भावी परिणाम भविष्य विवरण में निर्धारित योजना लक्ष्य एवं आकांक्षाओं से भिन्न हो सकते हैं जो कंपनी के नियंत्रण में है। पाठकों को सलाह दिया जाता है कि ऐसे बयानों पर अनुचित निर्भर ना रहे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम



आरक्षण तालिका



तनाव प्रबंधन



निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन

कंपनी का सिद्धांत

कंपनी का यह मानना है कि अंशधारकों और जनता के विश्वास को बढ़ाने तथा कंपनी के जीवनोपयोगी विकास हेतु प्रभावी एवं स्वच्छ कार्पोरेट गवर्नेंस को अपनाना महत्वपूर्ण है।

निदेशक मंडल व्यापार में पारदर्शिता, एकता और जवाबदेही लाने के लिए कार्पोरेट अभिशासन प्रथा को लाने हेतु कृत संकल्प है। यह प्रबंधन के अचल प्रयास में निमित्त है कि वे प्रारंभ से ही ईमानदारी का संचालन करे।

निदेशक मंडल

31 मार्च 2013 को आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में गैल द्वारा नामित एक नियुक्त संयुक्त चेयरमैन सहित 13 निदेशकों, दो सरकारी उत्तराधिकारी (एमओसीएंडएफ और एमओपीएंडएनजी के प्रतिनिधि) दो गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति संयुक्त की नियुक्ति संयुक्त उपक्रम समझौते और कंपनी की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के समझौते के तहत हुई है। श्री राकेश कुमार के इस्तीफा देने के बाद 22.05.2013 से निदेशक (वित्त) का पद रिक्त पड़ा हुआ है और नई नियुक्ति की प्रक्रिया एमओसीएंडएफ द्वारा जारी है।

वर्ष भर में समीक्षा के दौरान डायरेक्टरशिप और कमेटी का स्थिति सहित निदेशक मंडल के गठन, उपस्थिति आंकड़े निम्नलिखित हैं :

क्र. न.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकों की संख्या/अन्य कंपनियों में अध्यक्ष की संख्या		कमेटी की संख्या/अन्य कंपनियों में सदस्यों एवं अध्यक्ष की संख्या		बोर्ड मीटिंग में उपस्थिति लोगौ की संख्या	पिछले एजी-एम में उपस्थिति
			अध्यक्ष	निदेशक	अध्यक्ष	निदेशक		
कार्यात्मक निदेशक								
1	श्री पी एन प्रसाद	प्रबंध निदेशक	-	-	-	-	4	हां
2	श्री राकेश कुमार 21.05.2012 तक	निदेशक (वित्त)	-	-	-	-	1	नही
प्रमोटर निदेशक								
3	श्री बी सी त्रिपाठी चेयरमैन और पबंध निर्देशक गैल (इंडिया) लि.	अध्यक्ष	3	1	-	1	3	नही
4	श्री आर के दत्त सलाहकार, असम सरकार	निदेशक	-	2	-	-	4	हां



5	श्री जतिंदर बीर सिंह प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, असम सरकार (21. 05. 2012 तक)	निदेशक	2	8	-	-	-	नहीं
	श्री आर टी जिंदल प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, असम संस्था (22.05.2012 तक)	निदेशक	2	9	-	-	2	नहीं
6	श्री दीपक चक्रवर्ती प्रबंध निदेशक नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	निदेशक	-	1	-	-	2	नहीं
7	श्री टी के अनंत कुमार निदेशक (वित्त) ऑयल इंडिया लि.	निदेशक	-	1	-	-	2	हां
8	श्री एस एल रैना निदेशक (एच आर) गैल (इं) लि. 31.05.2013 तक	निदेशक	-	3	-	3	4	हां
9	श्री एस वेंकटरमण निदेशक (बीडी) गैल (इं) लि.	निदेशक	3	5	-	1	4	हां
10	श्री पी के जैन निदेशक (वित्त) गैल (इं) लि.	निदेशक	-	5	1	-	4	हां
सरकारी निदेशक								
11	सुश्री नीलकमल दरवारी संयुक्त सचिव रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, रसायन एवं उर्वरक	निदेशक	-	-	-	-	2	नहीं
12	डा. नीरज मित्तल संयुक्त सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 19. 12. 2012 तक	निदेशक	-	1	-	-	-	नहीं
	श्रीमती सुषमा तैसेटी निदेशक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (20.12.2012 से)	निदेशक	-	-	-	-	-	नहीं
स्वतंत्र निदेशक								
13	श्री प्रफुल्ल चंद्र शर्मा	निदेशक		2		2	2	हां
14	श्री गौतम बरुवा (27.08.2012 से)	निदेशक		1		1	2	नहीं
(*) कमेटी का स्थिति केवल ऑउट-कमेटी और अंशधारकों के शिकायत कक्ष को दर्शाता है (##) अन्य कंपनी अर्थात केवल पब्लिक कंपनी।								

वर्ष २०१२-१३ में हुई बोर्ड बैठकों का विवरण

वर्तमान वर्ष दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें हुई।

बोर्ड बैठकों की संख्या	तिथि	बोर्ड की क्षमता	उपस्थित निदेशक की संख्या
36 वां	15.05.2012	13	8
37 वां	27.08.2012	13	8
38 वां	21.11.2012	13	10
39 वां	27.02.2013	13	10



नियुक्त/पुनःनियुक्त किए गए निदेशकों का विवरण

श्री बी सी त्रिपाठी, अध्यक्ष वार्षिक आम सभा में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 256 का अनुसरण करते हुए सवानिवृत हुए मगर उन्हें पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया। श्री त्रिपाठी को 01.08.2009 के प्रभाव से ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वे गैल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी बने, इससे पहले वे कंपनी में निदेशक विपणन के रूप में थे। श्री त्रिपाठी को गैस खंड में मेकानिकल इंजीनियर का २७ वर्ष का अनुभव है। उन्हें परियोजना प्रबंधन पाइपलाइन निर्माण, गैस प्रवाह, अभियान एवं मार्केटिंग रखरखाव का भी विशेष अनुभव है। वे सीएसआर, खेल एवं संस्कृति के शौकीन हैं।

श्री आर के दत्त, निदेशक वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 256 का अनुसरण करते हुए सेवा निवृत हुए और उन्हें पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया। असम गैस क्रेकर प्रोजेक्ट (बीसीपीएल) पर असम सरकार के (कैबिनेटरेंज) सलाहकार श्री आर के दत्त बीसीपीएल के 08.01.2007 के प्रभाव से निदेशक मंडल के पहले निदेशक थे। श्री दत्त नई दिल्ली के सेंट स्टेफेंस कॉलेज से इतिहास में बेचलर्स डिग्री प्राप्त किए थे और नई दिल्ली के ही फैक्ट्री ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त की है। पेट्रोलियम उद्योग में ४३ वर्ष के इस बड़े अनुभव के साथ उन्होंने नुमलीगड रिफाइनरी लिमिटेड के पहले प्रबंध निदेशक और ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं।

श्री दीपक चक्रवर्ती, निदेशक वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 256 का अनुसरण करते हुए सेवानिवृत हुए और उन्हें पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया। 01.04.2011 के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) का निदेशक नियुक्त किया गया। उन्हें 01.04.2011 से एनआरएल का प्रबंध निर्देशक का भार दिया गया, इससे पहले वे 04.08.2006 तक कंपनी के निदेशक (तकनीक) के रूप में सेवारत थे। श्री चक्रवर्ती असम अभियांत्रिकी कालेज, गुवाहाटी से रसायन अभियांत्रिकी में ग्रेजुएट थे। और नार्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, इवांस्टोन, अमेरिका से केमिकल इंजीनियर फोरम से एमएस थे। प्लामिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और आपरेशन सहित रिफाइनरी मैनेजमेंट में उन्हें अच्छा अनुभव है।

श्री पी के जैन, निदेशक वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 256 के अधीन सेवानिवृत हुए और उन्हें पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया श्री जैन 07.03.2011 से बीसीपीएल के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। वे गैल (इं) लि. के निदेशक (वित्त) थे इससे पहले वे कंपनी के कार्यकारी निर्देशक (आंतरिक ऑडिट) के रूप में कार्यरत थे। वे यूनिवर्सिटी ऑफ हल, यूनाइटेड किंगडम से चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा एमबीए वित्त के डिग्रीधारक हैं। वित्त एवं एकाउंटेंट में 33 वर्ष के अनुभव श्री जैन को फाइनेंशियल एवं आंतरिक उपप्रबंधक का तजुर्बा था। वे विभिन्न तरह के ऋण कार्य से भी जुड़े थे। वे परियोजना मूल्यांकन फाइनेंशियल एजल के क्षेत्र में भी अपने अनुभव का इस्तेमाल किए थे।

श्रीमती सुषमा तैशेटी, निदेशक को 20.01.2012 को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 1989 बैच की सिविल सर्विस ऑफिसर श्रीमती तैशेटी ने हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई से माइक्रो बायोलोजी में एमएससी की डिग्री तथा सोफियार कॉलेज, मुंबई से ही क्लीनिकल एनालायसिस में डिप्लोमा धारक थी। अपने दो दशक के कैरियर में उन्होंने रक्षा मंत्रालय, परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के विभिन्न विभागों में काम करने के जलावे नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेटर (एनएमएसआरसी) में विदेशी प्रतिनिधि के रूप में सेवा की वे विभिन्न संगठनों जैसे के उमाशंकर कमेटी (1999) की सदस्य के रूप में तथा नेशनल सपोर्ट एंड मोनिटरिंग सेल (पीएनडीटी), टास्क फोर्स कमेटी (एनआरएचएम) की सदस्य तथा एनआरएचल के अधीन केरल, महाराष्ट्र और जम्मू एवं कश्मीर की नोडल ऑफिसर थी। उन्होंने कन्या शिशु के उपर



कई आलेख भीलिखी है। वर्तमान में वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक (विपणन एवं गैस परियोजना) के रूप में सेवारत हैं।

लेखा कमेटी

वर्तमान लेखा कमेटी में तीन सदस्य हैं तथा श्री पी सी शर्मा, गैर आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक कमेटी में अध्यक्ष हैं। श्री टीके अनंथ कुमार, निदेशक सहित प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) लेखा कमेटी में आमंत्रित है। लेखा कमेटी के नियम कार्पोरेट अभिभासन पर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार तैयार की गई है।

वर्ष भर में 11.05.2012, 26.07.2012, 15.10.2012 और 06.02.2013 को चार बैठक हुई। सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा निम्नलिखित है :

निदेशक के नाम	बैठक में उपस्थिति
श्री पी सी शर्मा, अध्यक्ष	4
श्री आर के दत्त, सदस्य 26/07/2012 तक	2
श्री दीपक चक्रवर्ती, सदस्य 26/07/2012 तक	-
श्री टी के अनंथ कुमार, सदस्य (26/07/2012) तक	1
श्री पी के जैन, सदस्य	4
श्री गौतम बरूवा, सदस्य 27/08/2012 से	2

अन्य कमेटियां

पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समिति, का नेतृत्व गैर आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक सहित तीन सदस्य (गैर कार्यकारी निदेशक) से गठित है :

श्री पी सी शर्मा, निदेशक	: चेयरमैन
श्री टी के अनंथ कुमार, निदेशक	: सदस्य
श्री एस एल रैना, निदेशक (31/05/2013 तक)	: सदस्य

प्रबंध निदेशक कमेटी में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

वर्ष भर में 03.05.2012, 07.08.2012, 27.08.2012 और 13.12.2012 को कमेटी की चार बैठकें हुई। कमेटी ने बोर्ड को पुरस्कार, सुविधाएं और कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाओं के बारे में सुलाक दिए। कमेटी ने एचआर नीति पर भी समीक्षा का प्रस्ताव सुझाया।

परियोजना के लिए प्रस्तावों की मंजूरी के लिए एक शक्तिशाली कमेटी का भी किया जा रहा है।

जीवनोपयोगी विकास हेतु डीपीई दिशानिर्देश के आधार पर गैर आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक की में जीवनोपयोगी विकास



ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड

पर एस कमेटी गठित का गर्व हैं।

निदेशकों के पारिश्रमिक

नाम	वेतन एवं भत्ता (₹)	पीएफ, ग्रेच्यूटी और अन्य पूंजी में अंशदार	अन्य लाभ एवं अनुसार (₹)	प्रदर्शन से जड़े प्रोत्साहन	कुल (₹)
श्री पी एन प्रसाद प्रबंध निदेशक	22,72,767	1,96,844	4,09,033	--	28,78,644
श्री राकेश कुमार निदेशक वित्त 21/05/2012 तक	2,77,411	23,652	49,133	--	3,50,196

पार्ट टाइम गैर अधिकारिक निर्देशकों को सीटिंग फीस, जो श्री पी सी शर्मा को 1,70,00 ₹/- श्री गौतम बरुवा को 90,000 ₹/- छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। उत्तराधिकारी निदेशकों को कंपनी से सीटिंग फीस की सहित कोई भी आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है।

आम सभाएं

तीन वार्षिक आम सभाओं का ब्योरा निम्नलिखित है :-

एजीएम की संख्या	तिथि	समय	स्थान	कोई विशेष प्रस्ताव पारित
तीसरा	17.07.2010	11 बजे दिन	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक एम जी रोड, गुवाहाटी	हां सेक्शन 81 के तहत के आगे आगे शेयर जारी करने के एकशत की अधिकृति
चौथा	29.07.2011	4 बजे	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक एम जी रोड, गुवाहाटी	नहीं
पांचवा	27.08.2012	12 बजे	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक एम जी रोड, गुवाहाटी	हां सेक्शन 81 के तहत शेयर जारी करने के लिए के आगे की अधिकृत एकशन की अधिकारी



छठा वार्षिक आम सभा

तिथि : 29/08/2013

समय : 3 बजे

स्थान : पंजीकृत कार्यालय

होटल ब्रह्मपुत्र अशोक

एम जी रोड, गुवाहाटी-781001



5वां वार्षिक आम सभा प्रांगण

खुलासे

- वार्षिक प्रतिवेदन के लेखा निर्माण हिस्से की टिप्पणियों संबंधित पार्टियों के लेनदेन का खुलासा।
- कंपनी ने कार्पोरेट अभिभासन पर डीपीई दिशानिर्देश का पालन किया है। बोर्ड ने जेवी समझौते के तहत नामित निदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में भारत सरकार से विशेष छुट देने का आग्रह किया है। भारत सरकार द्वारा नियुक्ति इससे निदेशक की नियुक्ति, समीक्षा के दौर किया गया।
- कंपनी के पास हिसल कलोवर मेकानिज्म है जिनके अनुसार जनहित खुलासा नकर भारत सरकार के सूचना पदाता की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) प्रस्ताव 89 का पालन किया जा रहा है।
- निर्माणाधीन चरण, वित्तीय, ऑपरेशनल एवं अन्य जोखिम को पहचानने तथा कम करने के लिए जो खिम प्रबंधन हेतु मेकानिज्म की व्यवस्था की गई है।

लेखा योग्यता

छह सफल वर्ष के लिए वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च, 2013 तक कंपनी के एकाउंट पर बैधानिक लेखा का रिपोर्ट में कोई लेखा परक्षा अर्हता तय नहीं की गई है।

संचार माध्यम

कंपनी का www.bcplonline.co.in वेबसाइट है। वेबसाइट के जरिए अंशधारकों से संपर्क होता है। विज्ञप्तिओं एवं वार्षिक रिपोर्ट के जरिए कंपनी समय-समय पर जानकारियां उपलब्ध कराती है।

शेयरधारण संरचना





कार्पोरेट अभिभासन स्वीकृति प्रमाणपत्र

2012-13 के दौरान डीपीई दिशानिर्देश पर कार्पोरेट अभिभासन के शर्तों की स्वीकृति के संदर्भ में कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है।

साचिविव लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

घोषणा

कार्पोरेट अभिभासन पर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसूचि ३.४.२ के अनुसार यह घोषणा की जाती है कि निदेशक मंडल के सदस्यों सहित कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी जिनके लिए आचार संहिता लागू है वे इसके प्रति अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

हस्ता

(पी एन प्रसाद)

प्रबंध निदेशक

ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पोलिमर लिमिटेड

निर्माण स्थल का दौरा



एमओसी एंड एफ के सचिव श्री इंद्रजीत पॉल के साथ निदेशक श्री एस वेंकटरमण।



मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री राजेश रंजन (आइ पी एस) के साथ प्रबंध निदेशक पी एन प्रसाद।



सांचिविक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

नारायण शर्मा
बी. कॉम (मेजर), एफसीएस

नारायण शर्मा एंड एसोसिएट
बिल्डवर्थ बिल्डिंग, जी एस रोड
दिसपुर, गुवाहाटी-781005

फोन : 2340687 (डी) 2340353/54 (एकसरे-23)

फैक्स : 0361-2341411 निवास : 2620539

ई-मेल : narayan@buildworth.com

प्रति निदेशक मंडल

ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

होटल ब्रह्मपुत्र अशोक

एम जी रोड, गुवाहाटी-781001

हमने पहली अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि के लिए ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लि. (कंपनी) के रजिस्ट्रों, रिकार्डों, किताबों और कागजातों की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की :

कंपनी अधिनियम, 1956 और इसके अधीन बने नियमावली, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, 2010 हेतु कार्पोरेट अभिभाषन पर डीपीई दिशानिर्देश तथा कंपनी के ज्ञापन एसोसिएसन के अनुच्छेद।

(1) कंपनी सचिव और अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा दस्तावेजों के जांच से पता चला कि कंपनी अपनी कंपनी अधिनियम, 1956 (द एक्ट) और नियम को कंपनी के संगठनों के अधीन कानून और स्मारक पत्रों के अधीन निर्मित है- वे निम्नलिखित संदर्भ में है-

- (i) वैधानिक रजिस्ट्रों और दस्तावेजों का रखरखाव और जरूरी प्रवेश अनिवार्य करना।
- (ii) निर्धारित समय पर प्रयोजनीय प्रपत्रों को भरकर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, नार्थ इष्ट रीजन, शिलांग को लौटाना।
- (iii) कंपनी द्वारा अपने सदस्यों, लेखाकारों और कंपनी के रजिस्ट्रों का सर्विस दस्तावेज।
- (iv) निदेशकों के बोर्ड और कमेटी बैठक की सूचना।
- (v) निदेशकों और निदेशकों की कमेटियों के बैठकें और अधिसूचना द्वारा प्रस्ताव पारित;
- (vi) 27 अगस्त, 2012 को पांचवी वार्षिक आम बैठक आहूत और संचालन।
- (vii) आम बैठक और बोर्ड की बैठक और कमेटियों के कार्य।
- (viii) निदेशक मंडल का गठन एवं नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और निदेशकों के पुन नियुक्ति का संविधान
- (ix) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति; सभी तरह के निदेशक और गैर कार्यकारी निदेशकों एवं उनकी पारिश्रमिक।
- (x) कंपनी के शेयरों का स्थानंतरण जारी करने तथा शेयरों का आवंटन तथा शेयर के मूल एवं डूपलीकेट प्रमाणपत्र जारी करना।
- xi. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक



ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड

- xii. उधारी उप और पंजीयन और खर्च का रूपांतरण और संतुष्टि
- xiii. बोर्ड का रिपोर्ट;
- xiv. कंपनी के ठेको, निगम मुहर, पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के प्रकाशन के नाम
- xv. सामान्यतः अधिनियम के अन्य प्रयोज्य प्रावधान तथा अधिनियम के तहत बने नियम सभी जरूरी नियम
२. हम आगे प्रतिवेदन देते हैं :
- (क) कंपनी के निदेशकों ने अधिनियम की धारा २९९, ३०५ के तहत सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी के अधिनियम की धारा २१४ (१) (जी) कंपनी के लिए प्रायोग नहीं हैं।
- (ख) ३१ मार्च २०१३ वित्तीय वर्ष की समाप्ति कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने आचार संहिता के पालन की पुष्टि की हैं।
- (ग) कानून के अधीन जहां जरूरत पड़ी वहां कंपनी के निदेशकों, शेयरधारकों तथा अन्य प्रबंधनों की सहमति ली।
- (घ) वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम के तहत अपराधों के लिए कंपनी के खिलाफ कोई जांच हुए नहीं या कोई कारण बताया नोटिस का सामना नहीं करना पड़ा और ना ही कंपनी को किसी तरह का कोई जुर्माना चुकाना पड़ा।
- (ङ) ३१ मार्च २०१३ वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों बैंक और अन्य से ली गई ऋण कंपनी के उधार लेने की सीमा में है और वार्षिक आम बैठक में कानून के धारा २९३(१)(घ) के अधीन जरूरी प्रस्तावों को पारित किया गया।
- (च) कंपनी गैर सूचीबद्ध कंपनी है और इसलिए सूचीबद्ध है कंपनी के मातहत होने तक कंपनी के लिए सूचीबद्ध समझौता प्रायोज्य नहीं है।
- (३) हमने आगे प्रतिवेदन देने है कि कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की जरूरी को छोड़कर सरकार अन्य सीपीएसइ द्वारा नमित निदेशकों की अधिकतम संख्या के साथ बोर्ड के गठन तथा लेखा परीक्षा समिति का गठन उसके दो तिहाई सदस्यों को लेकर कार्पोरेट अभिभाषन पर डीपीई के दिशा निर्देश में शामिल शर्तों का पालन किया हैं।

स्थान : गुवाहाटी

तिथि : २६ अप्रैल, २०१३

वास्ते नारायण शर्मा, एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
नारायण शर्मा
प्रोपराइटर
सीपी नं. 3844



निगमित सुशासन अनुपालन प्रमाण-पत्र

नारायण शर्मा
बी. कॉम (मेजर), एफसीएस

प्रति निदेशक मंडल
ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड
होटल ब्रह्मपुत्र अशोक
एम जी रोड, गुवाहाटी-781001

नारायण शर्मा एंड एसोसिएट
बिल्डवर्थ बिल्डिंग, जी एस रोड
दिसपुर, गुवाहाटी-781005
फोन : 2340687 (डी) 2340353/54 (एकसरे-23)
फैक्स : 0361-2341411 निवास : 2620539
ई-मेल : narayan@buildworth.com

कार्पोरेट अभिभासन पर डीपीई के दिशनिर्देशों में अनुवाद के आधार पर 31 मार्च 2013 वर्ष समाप्ति पर ब्रह्मपुत्र क्रेकर व पॉलिमर लिमिटेड (कंपनी) के द्वारा कार्पोरेट अभिभासन की स्थिति के अनुवृति पर हमने परीक्षण किया। कंपनी सुचीबद्ध कंपनी नहीं है, कार्पोरेट अभिभासन के सुचीबद्ध समझौते की धारा 49 लागू नहीं होती है। कार्पोरेट अभिभासन की अनुवृति की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी निरीक्षण आगे बढ़ने और कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा अपनाया गई प्रक्रिया तक सीमित था। कंपनी के वित्तीय वक्तव्य पर न तो लेखा निरीक्षण है और न कंपनी के वित्तीय विवरण पर विचार की अभिव्यक्ति। हमारे विचार तथा प्राप्त स्पष्टीकरण और प्राप्त जानकारी के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी, बोर्ड के संविधान को छोड़कर जिसमें कई स्वतंत्र निदेशकों तथा सरकार एवं अन्य सीपीएसइ द्वारा आधिकाधिक संख्या में नामित निदेशक नियुक्त है, कार्पोरेट अभिभासन पर डीपीई के दिशानिर्देश के अनुबध के आधार पर कार्पोरेट अभिभासन के शर्तोंकी अनुवृति है। हम आगे कहते हैं कि ऐसी स्वीकृति ना ही आश्वसन है और ना ही कंपनी के मामलों में संचालन करने वाले प्रबंधन की दक्षताया प्रमुख व्यवहारिकता का।

स्थान : गुवाहाटी
तिथि : २६ अप्रैल, २०१३

वास्ते नारायण शर्मा, एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
नारायण शर्मा
प्रोपराइटर
सीपी नं. 3844
सदस्यता सं : एफसीएस 5117



शेयरधारकों के लिये लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

दास और शर्मा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स



विनय कुमार दास, एफसीए, डीआईएसए
देवजीत शर्मा, एफसीए, डी आई एस ए

प्रति
सदस्यवर्ग
ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड
गुवाहाटी, असम

वित्तीय विवरण संबंधी प्रतिवेदन

हमने ब्रह्मपुत्र क्रेकर एण्ड पॉलिमर के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है जिसमें ३१ मार्च २०१३ का तुलन पत्र, उस वर्षात का लाभ-हानि विवरण व नगद प्रवाह विवरण एवम् अहम लेखा नीतियों का सारांश व अन्य विवरणात्मक जानकारियाँ समाहित हैं।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

कंपनी अधिनियम, १४५घ(अधिनियम) की धारा २११ की उपधारा ३ (ग) में उल्लेखित लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन जिम्मेदार है ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवम् नगद प्रवाह का वास्तविक एवम् उचित प्रकटीकरण हो। इस दायित्व में तथ्यपूर्ण मिथ्या कथन (धोखेबाजी या त्रुटि के कारण) से परे, वास्तविक एवम् उचित वित्तीय विवरण की तैयारी एवम् प्रस्तुतिकरण हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का प्रारूप, कार्यान्वयन एवम् रख रखाव भी समाहित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व :

हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। वो मानक अपेक्षा करते हैं कि

नीतिपक्ष आवश्यकताओं का पालन कर हम लेखा परीक्षा की योजना निष्पादन इस प्रकार करें ताकि उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरण तथ्यपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में सम्मिलित राशियों एवम् खुलासा के बारे में साक्ष्य जुटानेकी प्रणाली शामिल है। इस प्रणाली का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है, जिसमें वित्तीय विवरण में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तथ्यपूर्ण मिथ्या कथन की जोखिम भी शामिल है। उक्त जोखिम निर्धारण एवम् लेखा परीक्षा की प्रणाली के प्रारूप हेतु लेखा परीक्षक उन आंतरिक नियंत्रण को भी ध्यान में रखता है जो कंपनी के वास्तविक वित्तीय विवरण की तैयारी व प्रदर्शन हेतु प्रासंगिक हैं।

एक लेखा में प्रयुक्त लेखा नीतियों का औचित्य एवम् प्रबंधन द्वारा किये गये लेखा अनुमानों की विश्वसनीयता एवम् सम्पूर्ण वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन भी समावेशित होता है।

हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे हमारी राय व्यक्त करने हेतु उपयुक्त व यथेष्ट है।

विचार

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवम् हमें



दिए गए स्पटीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण, आवश्यक रूप से कंपनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित आवश्यक जानकारी देते हैं तथा साथ ही सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक एवम् उचित तस्वीर देते हैं-

- (क) तुलन पत्र के संबंध में कंपनी के कार्य ३१ मार्च २०१३ तक है,
- (ख) लाभ-एवम् हानि विवरण के संबंध में परियोजना के परिचालन स्थिति के अनुरूप राजस्व लेन-देन का अभाव है, एवम्
- (ग) कंपनी के नगद प्रवाह विवरण के संबंध में, यह लेखा परीक्षा वर्ष के अन्तर्गत है।

विषय की महत्ता

- (१) हम वित्तीय विवरण की टिप्पण संख्या १२ केपारा ३(१) में उल्लेखित मूल्यहास प्रणाली में हुए बदलाव की और ध्यानाकर्षित करते हैं। हमें यह सूचित किया गया कि यह बदलाव नियंत्रक कंपनी (गेल) द्वारा अनुसरित किये जाने के कारण अपेक्षित एवम् जरूरी हो गया है। इस विषयवस्तु पर हमारी कोई शर्तीया राय नहीं है।
- (२) हम वित्तीय विवरण की टिप्पण संख्या १८ के पारा १९ में उल्लेखित कंपनी के विरुद्ध किये जाने वाले दावे के संबंध में सूचित करते हैं कि कंपनी के विरुद्ध ऐसा दावा नहीं किया गया है एवम् ऐसा दावा न ही स्वीकार्य किया गया है। इस विषय में हमारी प्रतिकूल राय नहीं है।
- (३) हम वित्तीय विवरण संख्या १२ के पारा २१ जो कि ऋणदाता एवम् ऋणी के शेष पुष्टिकरण के संबंध में है ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें प्रबंधन द्वारा माँगे गये ५० में से सिर्फ ५ पुष्टिकरण प्राप्त हुए। इस विषय में हमारी कोई प्रतिकूल राय नहीं है।
- (४) हम वित्तीय विवरण की टिप्पण संख्या १८ के पारा ३ (ii) के बारे में विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण हुए नुकसान की पहचान के

संबंध में हुए बदलाव की और ध्यानाकर्षित करते हुए सूचित करते हैं कि अन्य नुकसान के परिमाण को नतीजन लाभ हानि खाते में दर्ज किया गया है। इस विषय में हमारी कोई प्रतिकूल राय नहीं है।

- (५) हम वित्तीय विवरण की टिप्पण संख्या १ (बी) (iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो कि बकाया राशि आंबंटित शेयर से संबंधित नहीं है अपितु यह प्रवर्तकों गेल, आयल, एन आल एल एवम् असम सरकार के संयुक्त उपक्रम अनुबंध के तहत है।
- (१) कंपनी अधिनियम की धारा २२७ की उपधारा (४अ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये कंपनी (लेखा परीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, २००३ के तहत उल्लेखित पाराग्राफ ४ व ५ की विषय वस्तु का विवरण हम अनुलग्नक में दे रहे हैं।
- (२) अधिनियम की धारा २२७(३) के अनुसार हम सूचित करते हैं कि-
 - (क) हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवम् ज्ञान के अनुसार अपने लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिये आवश्यक समस्त जानकारी व स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये गये।
 - (ख) हमारे विचार एवम् हमारी जाँच से प्रतीत होता है कि कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित खाता-बही तैयार कर रखे हैं।
 - (ग) तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण व नगद प्रवाह विवरण खाता-बही के अनुरूप तैयार किये गये हैं।
 - (घ) हमारे विचार से तुलन पत्र, लाभ-हानि व नगद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम की धारा २११ की उपधारा ३(ग) में उल्लेखित लेखा मानकों का पालन करते हैं।
 - (ङ) कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा २७४ की उपधारा १ के क्लॉज (जी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।



ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड

(च) कंपनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ४४१ ए के अधीन उपकर चुकाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की दर की भी अधिसूचना जारी नहीं की गई ना ही उक्त धारा के अधीन कोई नियम लाया गया, कंपनी का कोई भी उपकर ना ही बकाया है और ना ही देय है।

अन्य विषय :

(१) असम सरकार से १३१ बीघा जमीन के स्वामित्व प्रमाणपत्र पाने की प्रक्रिया अभी सरकारी प्राधिकारियों के अधीन लंबित है। आधिपत्य पा लिया गया है। इस विषय में हमारे विचार सशर्त नहीं है।

स्थान : गुवाहाटी

दिनांक : २० मई, २०१३

हते दास एण्ड शर्मा

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

एफआरएन : ३१४२१४ इ

हस्ता.

विनय कुमार दास

भागीदार

एम नं. ०५१८९८



३१ मार्च, २०१३ हेतु वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के खातों पर उसी तिथि को हमारी प्रतिवेदन के पेराग्राफ १ में उल्लेखित ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड के सदस्यों के प्रति अनुलग्नक।

हमारीलेखा-परीक्षा के दौरान इस तरह की जांच के आधार पर प्राप्त जानकारीयों एवं स्पष्टीकरणों पर, हम प्रतिवेदन करते हैं-

- १ (क) कंपनी द्वारा उचित आलेख बनाए हैं, जिनमें अचल संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण व अवस्थिति समेत पूर्ण विवरण दर्शाया गया है।
- (ख) हमें बताया गया है कि प्रबंधन द्वारा इस वर्ष अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। कोई भौतिक गड़बड़ी नहीं पायी गई है।
- (ग) हमारी राय एवम् हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार किसी स्थायी परिसंपत्ति निपटान नहीं किया गया है, जिससे चलत निकाय की धारणा पर प्रभाव नहीं पड़ता है।
२. तैयार माल स्टोर्स, कच्चेमाल तथा अतिरिक्त पूर्जों के भौतिक सत्यापन का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वर्तमान में कंपनी माल सूची नहीं रख रही है। निर्माण सामग्री का स्टॉक मुख्य रूप से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की निगरानी में है, जिसने प्रमाणित किया है कि बी सी पी एल का सामग्री विवरण सही था।
३. हमें प्राप्त जानकारीयों एवम् स्पष्टीकरण एवम् हमारी बही खातों की जाँच से पता चला है कि कंपनी ने कंपनीज अधिनियम १९५६ की धारा ३०१ के अन्तर्गत कोई आरक्षित या अनारक्षित ऋण किसी कंपनी फर्म या अन्य फर्म को नहीं दिया है। परिणाम स्वरूप परिच्छेद iii(बी), iii (सी) और iii (डी) कंपनी पर लागू नहीं है।
- (४) हमें प्राप्त जानकारीयों और स्पष्टीकरणों के आधार पर खाता बही की जांच से पता चला कि कंपनी ने अपने संबंधी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड से २५० करोड़ का ऋण लिया है जो कि पुरी तरह से ३१ मार्च २०१३ तक बकाया था। कंपनीज अधिनियम की १९५६, की धारा ३०१ के तहत कंपनी का नाम रजिस्टर में दर्ज है।

- (५) हमें प्राप्त जानकारीयों और स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारा विचार है कि अपने संबंधी पक्ष ऑयल इंडिया लिमिटेड से लिए गए ऋण संबंधी ब्याज दर और नियम एवं शर्तें कंपनी के हित के लिए नुकसान देह नहीं है।
- (६) ऋण को अब तक चुकाया नहीं गया है और वार्षिक ब्याज को पूरी तरह से चुका दिया गया है।
- (७) हमारी राय में तथा परीक्षा के समय हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार सामग्री स्थायी संपत्ति की खरीद, सामान की बिक्री व खर्चों के भुगतान के संबंध में कंपनी के आकार एवम् व्यवसाय समानारूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं। हमारी लेखा परीक्षा के समय इस प्रणाली में सुधारने लायक कोई मुख्य कमजोरी नजर नहीं आई।
- (८) हमें बताया गया है कि कंपनी ने किसी पार्टी से ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है, जिसे कंपनी अधिनियम १९५६ की धारा ३०१ के अनुसार रजिस्टर में दर्ज किए जाने की जरूरत है।
- (९) कंपनी ने कंपनी अधिनियम १९५६ की धारा ५८ अ और ५८ अअ के अन्तर्गत कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
- (१०) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवम् स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी के पास अपने आकार एवम् व्यवसाय के समानारूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
- (११) कंपनीज अधिनियम १९५६, के अनुच्छेद २०९ (१) (डी) में निर्धारित लागत रिकार्ड के रख रखाव संबंधी नियम कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी ने परिचालन शुरू नहीं किया है और न ही अधिनियम के तहत ऐसे रिकार्ड की सलाह दी गई है।
- (१२) कंपनी नियमित रूप से निर्विवादित वैधानिक बकाया राशियाँ संबंधित अधिकारियों के पास जमा करा रही हैं, जिसमें भविष्य निधि, वैट, सेवा कर, सीमा शुल्क, आयकर आदि शामिल



ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड

- हैं। हमें बताया गया है कि निर्विवादित वैट, सेवा कर, सीमा शुल्क व अन्य वैधानिक राशियाँ वर्ष के दौरान तथा भुगतान की तिथि से छह माह तक की अवधि से अधिक बकाया नहीं हैं।
- (१३) लेखा मानक ११ के अनुसार विदेशी मुद्रा लेन-देन की संचित हानि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर कंपनी की शुद्ध संपत्ति के ५०% से कम है हालाँकि व्यवसायिक कार्य का आरंभ होना अभी बाकी है।
- (१४) हमारी जाँच एवम् हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी पर किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान की कोई राशि भुगतान हेतु बकाया नहीं है। कंपनी का कोई ऋणपत्र धारक नहीं है।
- (१५) हमें दी गई जानकारी एवम् स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने शेयरों, ऋणपत्रों और अन्य प्रतिभूतियों को जमानत के तौर रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम राशि नहीं दी है।
- (१६) कंपनी कोई चिट फंड/निधि/म्यच्युल बेनिफिट फंड/संस्था नहीं है। इसलिये कंपनी (लेखा परीक्षक प्रतिवेदन) निर्देश, २००३ (संशोधित) के इस अनुच्छेद के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (१७) हमें दी गई जानकारी एवम् स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी शेयर, प्रतिभूति या अन्य निवेशों का कोई व्यापार नहीं करती है।
- (१८) हमें दी गई जानकारी एवम् स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋण पर कोई जमानती नहीं दी है।
- (१९) कंपनी को मिले सावधि ऋण का उपयोग उन कार्यों के लिये किया गया है, जिनके लिये ऋण स्वीकृत हुआ था।
- (२०) हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के आधार एवम् कंपनी के ३१ मार्च २०१३ के तुलनपत्र की जाँच के आधार पर हम सूचित करते हैं कि अल्पावधि के लिये जुटाई गई किसी राशि का उपयोग दीर्घावधि निवेश के लिये नहीं किया गया है।
- (२१) लेखा परीक्षा पद्धति निर्वहन एवम् हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार हम सूचित करते हैं कि कंपनी ने वरीयता के आधार पर शेयर का कोई आवंटन नहीं किया है।
- (२२) लेखा परीक्षा की अवधि के अन्तर्गत कंपनी का कोई बकाया ऋणपत्र नहीं है।
- (२३) कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोई राशि नहीं जुटाई है।
- (२४) लेखा परीक्षा पद्धति के निर्वहन एवम् हमें दी गई सूचना एवम् स्पष्टीकरण के आधार पर हम सूचित करते हैं कि उन वर्ष के दौरान कंपनी को किसी धोखाधड़ी का पता नहीं लगा और न ही ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई।

स्थान : गुवाहाटी

दिनांक : २० मई, २०१३

हते दास एण्ड शर्मा
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन : ३१४२१४ इ
हस्ता.
विनय कुमार दास
भागीदार
एम नं. ०५१८९८



तुलन पत्र

31 मार्च, 2013 का

000 में रू.

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च, 2012 तक
ए. साम्या एवम् देयताएँ			
1 शेयरधारकों की निधियाँ			
(ए) शेयर पूंजी	1	10,579,503	8,615,503
(बी) आरक्षितियाँ एवम् अधिशेष	2	36,927,872	21,451,288
2 शेयर आवेदन राशि का एलोटमेंट	3	1,046,549	2,666,099
3 गैर वर्तमान दायित्व			
(ए) दीर्घावधि उधार	4	14,416,250	9,770,000
(बी) विलंबित कर देयताएँ (सकल)			
(सी) अन्य दीर्घावधि देयताएँ	5	-	3,538
(डी) दीर्घावधि प्रावधान	6	8,468	1,579
4 वर्तमान देयताएँ			
(ए) अल्पावधि उधार			
(बी) व्यापार देयताएँ			
(सि) अन्य वर्तमान देयताएँ	7	3,976,010	3,520,613
(डी) अल्पावधि प्रावधान	8	2,331,761	1,789,910
कुल		69,286,413	47,818,530
(बी) परिसंपत्ति			
1 गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(ए) स्थायी परिसंपत्तियाँ			
(i) मूर्त परिसंपत्तियाँ	9	1,634,047	1,602,532
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	9	79,338	78,803
(iii) पूंजीगत प्रगत्याधीन कार्य	10	53,095,911	37,067,720
(iv) बिक्री हेतु स्थायी परिसंपत्तियाँ			

वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13



ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड

000 में रू.

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च, 2012 तक
(बी) गैर वर्तमान निवेश			
(सी) विलंबित कर परिसंपत्तियाँ (सकल)			
(डी) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	11	11,666,960	7,045,665
(इ) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ	12	30,316	189,957
2 वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(ए) वर्तमान निवेश			
(बी) माल सूची			
(सी) व्यापार प्राप्य	13	-	-
(डी) नगद एवम् नगद समतुल्य	14	1,656,754	1,394,486
(इ) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	15	722,645	103,573
(एफ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	16	400,442	335,794
कुल		69,286,413	47,818,530
(सी) अतिरिक्त सूचना	18		
(डी) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	19		

हस्ता./-
(पी एन प्रसाद)
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
(एस. वेक्टरमण)
निदेशक

हस्ता./-
(एके तिवारी)
प्रमुख वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(रूली दास सेन)
कंपनी सचिव

हमारे समदिनांकित पृथक प्रतिवेदन के अनुसार

हेतु दास एण्ड शर्मा
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म नं : 314214 ई
हस्ता.
(विनय कुमार दास)
भागीदार
सद सं. 51898

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 20-05-2013



लाभ-हानि विवरण

31 मार्च 2013 के लिए वर्ष समाप्ति पर

000 में रू.

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च, 2012 तक
I. परिचालन से राजस्व		शून्य	शून्य
वित्तीय कंपनी से अलग कंपनी के संदर्भ में			
उत्पादों की बिक्री			
सेवाओं की बिक्री			
अन्य परिचालन राजस्व			
घटा :			
एकसाइज ड्यूटी (आबकारी शुल्क)			
II. अन्य आय		शून्य	शून्य
III. कुल राजस्व (I+ II)		शून्य	शून्य
IV. व्यय :		शून्य	शून्य
उपभोग की गई सामग्रियों की लागत			
अन्दरूनी तौर पर निर्मित मध्यवर्ती या अन्य अवयव की खपत			
व्यापारिक माल खरीद			
तैयार माल व्यापारिक माल एबम् प्रगत्याधिन कार्य की सूचियों में परिवर्तन			
कर्मचारियों के कल्याणार्थ खर्च			
वित्तीय लागत			
मूल्यहास एवम् परिशोधन			
अन्य व्यय	17	209,137	शून्य
कुल व्यय		209,137	शून्य
V. आपवादिक, असाधारण मदों एवम् कर से पूर्व लाभ/(हानि)(III-IV)		(209,137)	शून्य
VI. आपवादिक मदें		शून्य	शून्य
VII. असाधारण मदों व कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)		(209,137)	शून्य
VIII. आसाधारण सामान		शून्य	शून्य
IX. कर से पूर्व लाभ/(हानि)(VII- VIII)		(209,137)	शून्य
X कर व्यय :		शून्य	शून्य
(1) वर्तमान कर			
(2) विलंबित कर			
XI सतत् परिचालनावधि लाभ/(हानि) (VII-VIII)		(209,137)	शून्य
XII परिचालन बंद होने से लाभ / (हानि)		शून्य	शून्य
XIII परिचालन बंद होने पर कर व्यय		शून्य	शून्य
XIV परिचालन बंद होने से (कर केबाद लाभ/(हानि) (XII-XIII)		शून्य	शून्य
XV अवधि (XI + XIV) में लाभ/(हानि)		(209,137)	शून्य
XVI प्रति इकिवटी शेयर पर उपार्जन (रू में)			
(1) आधारभूत		(0.21)	शून्य
(2) विरलित		(0.21)	शून्य

हस्ता./-
(पी एन प्रसाद)
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
(एस. वेकटरमण)
निदेशक

हस्ता./-
(एके तिवारी)
प्रमुख वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(रुली दास सेन)
कंपनी सचिव
हमारे समदिनांकित पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
हेतु दास एण्ड शर्मा
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म नं : 314214 ई
हस्ता.
(विनय कुमार दास)
भागीदार
सद सं. 51898



तुलन पत्र अनुलग्नक की टिप्पणियां

टिप्पणी : 1 : शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2013 तक		31 मार्च 2012 तक	
	शेयरों की संख्या	रु 000 में	शेयरों की संख्या	रु 000 में
(ए) इक्विटी शेयर 10 रु. प्रति के अधिकृत	2,000,000,000	20,000,000	2,000,000,000	20,000,000
(बी) 10 रु. प्रति के जारी शेयर	1,269,000,000	12,690,000	1,269,000,000	12,690,000
(सी) अभिदत्त एवम् समादत्त पूरी तरह से चुकाए गए प्रति 10 रूपए के इक्विटी शेयर	1,057,950,260	10,579,503	861,550,260	8,615,503
(डी) अभिदत्त पर अपूर्ण समादत्त	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कूल	1,057,950,260	10,579,503	861,550,260	8,615,503

टिप्पणी : 1 (ए) शेयर पूंजी संयोजन

रु 000 में

विवरण								
नोटस : (1) प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ एवम् अंत में शेयरों की संख्या एवं बकाया राशि का संयोजन								
विवरण	धारित	नव निर्गत	वोनस	इएस ओपी	संपरिवर्तन	पुनः खरीद	अन्य बदलाब	समापनावधि जमा
इक्विटी शेयर								
31 मार्च 2013 को वर्ष की समाप्ति पर								
- शेयरों की संख्या	861,550,260	196,400,000						1,057,950,260
- राशि रु 000 में	8,615,503	1,964,000						10,579,503
31 मार्च 2012 को वर्ष की समाप्ति पर								
- शेयरों की संख्या	324,657,260	536,893,000						861,550,260
- राशि रु 000 में	3,246,573	5,368,930						8,615,503



टिप्पणी : 1 (बी) : शेयर पूंजी अन्य विवरण

रु 000 में

विवरण				
(i) ५% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयरों का विवरण				
शेयर की श्रेणी/शेयर धारक का नाम	1 मार्च 2013 तक		31 मार्च 2012 तक	
	शेयरों की संख्या	उक्त शेयर श्रेणी में प्रतिशत	शेयरों की संख्या	उक्त शेयर श्रेणी में प्रतिशत
इक्विटी शेयर				
गैल (इंडिया) लिमिटेड	740,565,173	70	603,085,133	70
आयल इंडिया लिमिटेड	105,795,029	10	86,155,019	10
नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	105,795,029	10	86,155,019	10
असम सरकार	105,795,029	10	86,155,019	10

नोट : 31.03.2013 तक निदेशकों को 70 शेयर जारी किए (गैल 40, ऑयल 10, एनआरएल 10 और असम सरकार 10)

(ii) दिनांकित तुलन पत्र की तिथि से 5 वर्ष की पूर्वाधि में बिना नगद संदाय के संविदा (ओं) के अनुसरण में प्राप्त पूर्ण समादित आवंटित शेयरों, बोनस शेयरों व पुनः क्रय किये गये शेयरों की कुल संख्या और वर्ग।

विवरण	शेयरों की कुल संख्या	
	1 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
मतदान अधिकार सहित इक्विटी शेयर बिना नगद संदाय के संविदा (ओं) के अनुसरण में प्राप्त पूर्ण समादित बोनस शेयर के रूप में पूर्ण समादित पुनः क्रय किए गए शेयर	66,155,019	66,155,019
अंतरीय मताधिकार सहित इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर बिना नगद संदाय के संविदा (ओं) के अनुसरण में प्राप्त पूर्ण समादित बोनस शेयर के रूप में पूर्ण समादित पुनः क्रय किये गए शेयर	शून्य	शून्य

(iii) अमुक्त काल्स का विवरण (कंपनी अधिनियम के अनुसूची vi के भाग 1 के नोट 6 ए (के) के अनुसार प्रकाशित)

विवरण	31 मार्च 2013 तक		31 मार्च 2012 तक	
	शेयरों की संख्या	रु 000 में	शेयरों की संख्या	रु 000 में
मताधिकारसंग इक्विटी शेयर्स अनपेड संगृहित काल्स				
- निदेशको द्वारा				
- अधिकारियों द्वारा				
- अन्य	106,394,868	1,063,949	140,839,938	1,408,399

(iv) जब्त शेयरों का विवरण (कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसूची vi के पार्ट 1 के नोट सं. 6 ए ((i) में प्रकाशित) : शून्य



टिप्पणी : 2 : आरक्षितियाँ एवम् अधिशेष

रु ००० में

विवरण	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
(क) आरक्षित पूंजी		
शेकड जमा	21,451,288	12,625,633
जोड़ : साल में प्राप्त राशि	15,520,000	8,754,400
एस टी टी आर पर प्राप्त ब्याज	183,887	
घटा टीडीएस	18,166	71,255
(ख) अधिशेष		
लाभ एवं हानि खाता	(209,137)	-
कुल	36,927,872	21,451,288

टिप्पणी : आरक्षित पूंजी भारत सरकार से प्राप्त अनुदान है। एम ओ सी एफ, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र सं ४५०१३/१/२००५ पी सी-१ (पी आर टी) दिनांक १५.०२.२०१२ के अनुसार इसमें एस टीडी आर पर प्राप्त ब्याज भी शामिल है

लेखाकरण मानक १२ वे अनुसार विवरण :

रु ००० में

विवरण	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
सरकारी अनुदानों का विवरण :		
वर्ष के दौरान कंपनी को प्राप्त सरकारी अनुदान - सहायता (रक्षित पूंजी के तहत स्वीकृति हेतु)	15,520,000	8,754,400
पूंजीगत अनुदान पर कर अदायगी के बाद प्राप्त ब्याज पुनर्योग	165,721	71,255
कुल	15,685,721	8,825,655

- (1) भारत सरकार से पूंजी परिव्यय के जरिए वर्ष के लिए 15,52,00,00,000 रु (पिछले वर्ष 8,75,44,00,000/- रूपए) की पूंजीगत सहायता प्राप्त हुई। ए एस-12 (पैरा 16) के अनुसार पूंजी के लिए योगदान के जरिए सरकारी अनुदान एवम् पुनर्भुगतान अनुबंध न हो तो ऐसे अनुदानों से जुड़ी शर्त के अनुरूप से आरक्षित पूंजी में जमा किया जाना चाहिए।
- (2) कंपनी को अपने प्रशासनिक मंत्रालय से पत्र सं 45013/1/2005 पी सी-I (भाग) दिनांक 15.02.2012 के जरिए निर्देश मिला कि पूंजीगत अनुदान पर प्राप्त ब्याज बी सी पी एल की आय नहीं है और इसे पूंजीगत सहायता (सकल ब्याज) में वापस जोड़ा जाना चाहिए। इसके अनुसार ब्याज आय सकल टी डी एस पर 165720893/- रूपए (पिछले वर्ष 712 54729 रुपये) पूंजीगत सहायता का हिस्सा हैं।



नोट : 3 : शेयर आवेदन बकाया राशि आवंटन

रु ००० में

जेवी पार्टनर	इक्विटी काल जारी	प्राप्त राशि	आवँटित शेयर	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
ऑयल इंडिया लिमिटेड	1,269,000	1,269,000	1,057,950	211,050	407,450
नुमलीगड़ रिफाइनरी लिमिटेड	1,269,000	1,269,000	1,057,950	211,050	179,500
असम सरकार	1,269,000	1,157,950	1,057,950	100,000	179,900
गैल (इंडिया) लिमिटेड	8,883,000	7,930,100	7,405,651	524,449	1,899,249
निदेशकगण	1	1	1	-	-
कुल	12,690,001	11,626,051	10,579,502	1,046,549	2,666,099

शेयर एप्लीकेशन राशी जारी पूंजी से अधिक नहीं है और यह वापस नहीं किया जाएगा, जैसा कि इस बारे में उल्लेख है। (कंपनीज एक्ट 1956 के सिडयूल के पार्ट 1 के नोट नं 6 जी में प्रकाशित)

शेयर जारी करने हेतु शर्तें

: - प्रवर्तको के सांझा उद्यम समझौते एवम् सी सी इ ए की स्वीकृति के आधार पर

प्रस्तावित जारी शेयरों की संख्या

: - जब अनुपात सांझा उद्यम समझौते के समान होगा।

प्रीमियम की राशी, यदि कोई

: - शून्य

शेयरों की जारी करने की अवधि

: - सांझा उद्यम समझौते के आधार पर प्रवर्तकों गैल, असम सरकार, ऑयल व एन आर एल का योगदान अनुपात 70 : 10 : 10 : 10 जब भी होगा।

क्या कंपनी के पास शेयर आवेदन से प्राप्त राशि के शेयर आवंटन हेतु समुचित अधिकृत शेयर पूंजी है : हाँ

शेयर आवेदन पत्र में उल्लिखित आवंटन तिथि के परे किस अवधि तक शेयर आवेदन राशि किन कारणों से आवंटन हेतु लंबित है : प्रायोज्य नहीं। सांझा उद्यम समझौते के आधार पर गैल, असम सरकार, ऑयल व एन आर एल का जब कभी योगदान अनुपात क्रमशः 70 : 10 : 10 : 10 होता है, शेयर आवंटित किये जाते हैं।



नोट : 4 दीर्घकालीन ऋण विवरण

रु ००० में

विवरण	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
रक्षित		
(क) बंध पत्र/ऋण पत्र	शून्य	शून्य
(ख) सावधि ऋण		
(i) बैंकों से		
इलाहाबाद बैंक	612,500	612,500
आंध्र बैंक	742,500	742,500
बैंक ऑफ बरौदा	962,000	962,000
बैंक ऑफ इंडिया	962,000	962,000
कॉरपोरेशन बैंक	481,000	481,000
जम्मू और कश्मीर बैंक	481,000	481,000
पीएनबी	1,856,000	1,856,000
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	403,000	403,000
कुल	6,500,000	6,500,000

कंपनी के कब्जे वाली 131 बीघा सरकारी जमीन जिसका स्वत्व पत्र हस्तांतरित नहीं हुआ है को छोड़कर कंपनी की सभी स्थायी वर्तमान व भावी चल व अचल संपत्तियाँ समान रूप से ऋणदाताओं की सभी शर्तों के साथ प्रथम प्रभार के रूप में रक्षित रहेगी।

पुनर्भुगतान की शर्तें : वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की भूल तिथि से ऋण चुकौती पर स्थगन की दो वर्ष की अवधि के बाद 16 अर्धवार्षिक किश्तों में। प्रथम किश्त का भुगतान 31.12.2014 को करना है।

ब्याज दर : 2012-13 के 11.75% संघ के अग्रणी बैंक पी एन बी की आधार दर से जुड़ी हुई है।

(ii) अन्य : ऑयल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड	5,416,250	3,270,000
--	-----------	-----------

कंपनी के कब्जे वाली 131 बीघा सरकारी जमीन जिसका स्वत्व पत्र हस्तांतरित नहीं हुआ है को छोड़कर कंपनी की सभी स्थायी वर्तमान व भावी चल व अचल संपत्तियाँ समान रूप से ऋणदाताओं की सभी शर्तों के साथ प्रथम प्रभार के रूप में रक्षित रहेगी।

ओआईडीबी द्वारा प्राप्त ऋण गैल, ऑयल और एनआरएल द्वारा कारपोरेट गारंटी देने के बाद मिला।

पुनर्भुगतान की शर्तें : ऋण की कुल अवधि निकासी से 10 वर्ष तक है जिसमें 2 वर्ष की छूट भी शामिल है। पहली किश्त निकासी के तृतीय वर्ष की समाप्ति पर देय है। ऋण पर ब्याज दर बी सी पी एल द्वारा ऋण किश्त जिस माह में निकाला जायेगा, उस पर निर्भर है।

नोट : रु 353,750,000 की राशी 12 महीने के लिए 11 अदर करेंत लाइबिलिज 11 में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अनारक्षित : ऑयल इंडिया लि.	2,500,000	-
----------------------------	-----------	---

ऑयल के पक्ष में अचल संपत्ति के प्रभार पर ऋण प्राप्ति की पहली तिथि तक मान्य है।

पुनर्भुगतान की शर्तें : 2 वर्ष की छूट के बाद 8 बराबर तिमाही किश्तों में। पहली किश्त ऋण समझौते के 3 वर्ष की समाप्ति के बाद प्रथम तिमाही की अंतिम तिथि पर देय हैं।

ब्याज दर : 10.20% एस बी आई की आधार दर से जुड़ी हुई है।

ऋण एवम ब्याज के (बी)(ई) व (जी) के अनुसार तुलन पत्र की तिथि में लगातार भुगतान न होने के संदर्भ में।	शून्य	शून्य
कुल	14,416,250	9,770,000



टिप्पणी : 5 : अन्य दीर्घकालीन ऋण

रु ००० में

विवरण	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
(ए) व्यापार देय स्वीकृतियाँ स्वीकृतियों के अलावा	शून्य	शून्य
(बी) अन्य		
पी आर एस ठेकेदार	-	3,538
धारण राशि ठेकेदार		
धारण राशि अन्य		
कुल	-	3,538

टिप्पणी : 6 : दीर्घकालिन प्रावधान

रु ००० में

विवरण	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
(ए) कर्मचारियों के लाभार्थ प्रावधान		
आनुतोषिक	3,380	1,243
अवकाश भुगतान	5,088	336
(बि) अन्य	शून्य	शून्य
कुल	8,468	1,579

- (1) इस वर्ष के दौरान कंपनी ने नियमित कर्मचारियों की बकाया ग्रेच्यूटी रु 21,57,569/- (पिछले वर्ष रु 9,12,543/-) का प्रावधान किया। वास्तविक मूल्यांकन में प्रयुक्त पूर्वानुमान पद्धति लेखांकन मानक ए एस-15 की जरूरतों के अनुकूल है।
- (2) कंपनी ने नियमित कर्मचारियों के लिये लेखा खातों में समापन तिथि पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बकाया अवकाश भुगतान लाभ का प्रावधान किया है। कंपनी वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बकाया अवकाश भुगतान लाभ का भावी मूल्यांकन करती है एवम् इन्हे खाते में दर्ज करती है। वर्ष के दौरान ऐसे बकाया अवकाश लाभ का नगद भुगतान 4814,642 रु (पिछले वर्ष 265293/- रु) तक प्रावधान किया गया है।



टिप्पणी-7 अन्य वर्तमान देयताएँ

रु ००० में

विवरण		31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
(ए) दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वता			
ऋण-ओआईडीबी		353,750	-
(ए) अन्य देयताएँ		1,976,082	1,416,568
कर्मचारी	1,491		701
कर (वैट, एसटी, टीडीएस, और डबल्यू सी टी)	115,624		182,704
प्रतिभूति जमा	68,365		77,965
वयाना राशि जमा	11,051		8,714
मूल्य हास अनुसूची	1,102,301		577,699
धारण राशि	676,509		568,623
अन्य	741		162
(बी) पूंजीगत कार्य व आपूर्ति हेतु देय		1,646,178	2,104,045
आपूर्तिकर्ता (भारतीय)	73,943		779,782
आपूर्तिकर्ता और परामर्शदाता(विदेशी)	341,126		615,456
ठेकेदार	1,231,109		708,807
कुल		3,976,010	3,520,613

टिप्पणी : 8 : अल्पावधि प्रावधान

रु ००० में

विवरण		31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
(ए) कर्मचारियों के लाभार्थ प्रावधान :			
ग्रेच्यूटी के लिये प्रावधान		34	14
कर्मचारियों के अन्य हितों हेतु (अवकाश वेतन)		69	5
(वि) प्रावधान-अन्य		2,331,658	1,789,891
आयकर प्रावधान	146,441		40,023
देनदारी प्रावधान (ठेकेदार)	2,114,367		1,608,646
सीमा शुल्क प्रावधान	18,658		-
आपूर्तिकर्ता	-		103
अन्य	52,192		40,702
एम सी ई प्रीमियम के नियम	-		100,417
कुल		2,331,761	1,789,910

टिप्पणी : कर्मचारी हित प्रावधान देयताओं को टिप्पणी 6 में उल्लेखित दीर्घावधि देयताओं के साथ प्रदर्शित करता है।

टिप्पणी : 9 : मूर्त एवम् अमूर्त परिसंपत्तियाँ

रु ००० में

विवरण	सकल ब्लाक				अवमूल्यन				नेट ब्लाक	
	01.04.2012 तक	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान बिक्री/ वियोजन	31.03.2013 तक	संचित अवमूल्यन 31.03.2013	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान बिक्री/ वियोजन	पूर्ण संचित मूल्यखास 31.03.2013 तक	31.03.2012 तक	31.03.2013 तक
मूर्त परिसंपत्तियाँ (अ)										
पट्टेवाली भूमि	818,439	-	-	818,439	91,280	25,917	-	117,197	727,159	701,241
इमारत-फैक्ट्री भवन के अलावा	644,568	-	5,926	638,642	29,839	10,636	(19,189)	21,286	614,729	617,355
बंक घर	-	688	-	688	-	138	-	138	-	551
एफ व एफ तथा अन्य उपकरण	56,455	13,145	110	69,490	19,533	5,564	(7,390)	17,708	36,921	51,783
विद्युतीय उपकरण	302,257	-	4,878	297,379	84,842	14,367	(53,354)	45,854	217,415	251,525
इं डी पी	15,242	3,651	-	18,893	9,436	2,890	(4,150)	8,176	5,805	10,717
मोटर कार/जीप	1,233	120	-	1,353	731	127	(380)	478	502	875
कुल (अ)	1,838,194	17,604	10,914	1,844,884	235,661	59,639	(84,463)	210,837	1,602,532	1,634,047
अमूर्त परिसंपत्तियाँ (ब)										
साफ्टवेयर / लाइसेंस	4,408	1,794	-	6,202	1,933	1,240	(69)	3,104	2,476	3,098
उपयोग का अधिकार (स्थायी)	75,625	-	-	75,625	-	-	0	-	75,625	75,625
उपयोग का अधिकार (सीमित उपयोगी जीवन)	878	-	-	878	176	88	0	263	702	615
कुल (ब)	80,911	1,794	-	82,705	2,109	1,328	(69)	3,367	78,803	79,338
चालू वर्ष कुल 2012-13	1,919,105	19,398	10,914	1,927,590	237,770	60,967	(84,532)	214,204	1,681,335	1,713,385
विगत वर्ष कुल 2011-12	1,505,831	421,666	8,392	1,919,105	149,782	88,653	665	237,770	1,356,049	1,681,336





टिप्पणी 10 : पूंजीगत प्रगत्याधिन कार्य

रु ००० में			
क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
क.	सी डब्ल्यू आई पी- पूंजीगत कार्य	25,126,549	16,674,478
ख.	डब्ल्यू आई पी - अमूर्त परिसंपत्ति बकाया परिशोधन (तकनीकी जानकारी का आयात)	1,585,038	1,438,403
ग.	सी डब्ल्यू आई पी अनुज्ञात्मक परिसंपत्तियाँ	2,165,602	1,446,048
घ.	विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ावसे हानि	-	10,151
ङ.	सी डब्ल्यू आई पी - निर्माण सामग्री	-	-
1.	निर्माण स्थल पर सामग्री - अंतर्देशीय आपूर्ति	6,887,782	6,438,305
2.	निर्माण स्थल पर सामग्री - विदेशी आपूर्ति	1,386,143	721,826
3.	मार्ग में सामग्री - अंतर्देशीय आपूर्ति	1,345,163	1,727,295
4.	मार्ग में सामग्री - विदेशी आपूर्ति	1,300,992	1,034,082
5.	सामग्री जिनका निरीक्षण बाकी है	6,618,688	4,755,409
6.	सामग्री उठाने रखने की सेवाएँ	58,195	43,369
च.	परियोजना संबंधी गतिविधियों के लिये पी एम सी शुल्क	3,851,389	3,393,556
छ.	विदेशी ऋण पत्र के लिए भुगतान की गई राशि	5,971	4,810
ज.	संघटन अग्रिम पर ब्याज	(135,388)	(79,554)
झ.	असम सरकार से वसूली योग्य प्रवेश कर	-	-
ञ.	असम सरकार से वसूली योग्य ठेका कर	(835,460)	(506,371)
ट.	सेनवेट समायोजन खाता	-	(1,998,258)
ठ.	निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	3,936,929	1,964,171
ड.	विदेशी मुद्रा विनिमय व रुपांतर खाता	(201,682)	-
कुल		53,095,911	37,067,720

टिप्पणी : संघटन अग्रिम पर बसूले गये ब्याज को पूंजीगत प्रगत्याधिन कार्य से घटाया गया है क्योंकि ये राशियाँ कार्य के लिये अग्रिम पूंजी के संदर्भ में प्राप्त हुई एवम् निर्माण लागत को कम करती हैं।



टिप्पणी : 11 : दीर्घावधि ऋण एवम् अग्रिम

(i). कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग I की टिप्पणी सं (i), (ii) व (iii) के अनुसार

रु ००० में

विवरण	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
(क) पूंजी अग्रिम		
रक्षित अच्छा मान्य		
- पूंजीगत कार्य हेतु अग्रिम	448,230	2,363,583
- सामग्री हेतु अग्रिम	7,140,844	2,271,904
- अरक्षित, अच्छा मान्य	शून्य	शून्य
- संदिग्ध	शून्य	शून्य
	7,589,074	4,635,487
(बि) प्रतिभूति जमा		
रक्षित बढ़िया मान्य	शून्य	शून्य
	-	-
(सि). संबधित पक्षकारों को ऋण व अग्रिम (देखें टिप्पण (ii))		
रक्षित, बढ़िया मान्य	शून्य	शून्य
	-	-
(डी) अन्य ऋण व अग्रिम		
रक्षित, बढ़िया मान्य		
सेनवेट	3,439,990	2,410,178
सेनवेट - विलंबित	637,896	-
	4,077,886	2,410,178
कुल	11,666,960	7,045,665

(ii). कंपनी अधिनियम की अनुसूची VI के भाग I की टिप्पणी सं (IV) के अनुसार

रु ००० में

विवरण	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
निदेशक *	शून्य	शून्य
कंपनी के अन्य अधिकारी	शून्य	शून्य
फर्म जिसमें निदेशक साझेदार *	शून्य	शून्य
निजी कंपनी जिसमें निदेशक सदस्य है	शून्य	शून्य
	-	-

नोट : सेनवेट लेखाकरण :

कंपनी ने पूर्व आबकारी शुल्क छूट निर्देश के नवंबर में निरस्त किये जाने पर सेनवेट जमा विकल्प को ग्रहण किया। तदनुसार कंपनी नियमित रूप से सेनवेट खाते में जमा (credit) कर रही है। सम्पूर्ण सेनवेट क्रेडिट (जमा) 31-03-2013 तक 4077885818 रु हैं जिसे दीर्घविधि जमा एवम् अग्रिम के अन्तर्गत दिखाया गया है।



ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड

नोट : 12 : अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ

कंपनी अधिनियम 1956, की अनुसूची VI के भाग I की टिप्पणी सं एम (i), (ii) व (iii) के अनुसार विवरण

रु ००० में

विवरण		31 मार्च 2013 तक		31 मार्च 2012 तक
(ए) दीर्घकालीन व्यापार प्राप्य (विलंबित व्यापार प्राप्य सहित)		शून्य		शून्य
(वि) अन्य :				
रक्षित बढ़िया मान्य (अल्पावधि जमा जिनकी परिपक्वता 12 महीने से अधिक हो)		-		153
अन्य : विविध		30,316		189,804
ठेकेदारों को रक्षित अग्रिम	5,037		2,223	
सरकार व अन्य प्रबंधनों सहित डिपोजिट ए एस ई बी, सीआइएसएफ गैल और अन्य	25,279		156,710	
विलंबित कर व्यय	-		30,871	
कुल		30,316		189,957

टिप्पणी 13 : व्यापार से प्राप्य

कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसूची VI के भाग I के टिप्पणी सं पी (i), (ii), (iii) व (iv) के अनुसार विवरण

रु ००० में

व्यापार प्राप्ति	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
भुगतान की तिथि से छह माह से कम की अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्ति	शून्य	शून्य
कुल	-	-

ऊपर उल्लेखित व्यापार से प्राप्य में सम्मिलित है :

रु ००० में

विवरण	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
निदेशकों से	शून्य	शून्य
कंपनी के अन्य अधिकारियों से	शून्य	शून्य
फर्म जिसमें निदेशक साझेदार है	शून्य	शून्य
निजी कंपनी जहां दिनेशक सदस्य हैं	शून्य	शून्य
कुल	-	-



नोट : 14 : नगद एवम् नगद समतुल्य

कंपनी अधिनियम 1956 को अनुसूची VI के भाग I की टिप्पणी सं क्यू (i), (ii), (iii) व (v) के अनुसार विवरण :-

रु ००० में

विवरण	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
(क) बैंक में जमा		
इसमें सम्मिलित है चालू खाते में जमा	816,541	318,425
(ख) चैक, ड्राफ्ट	शून्य	शून्य
(सि) नगद	शून्य	शून्य
(डि) अन्य		
निलंब खाता	250,010	666,011
सावधि जमा, जिसकी परिपक्वता में 12 महीनों या उससे कमसमय बचा हो	590,203	410,050
कुल	1,656,754	1,394,486

टिप्पणी 15 : अल्पावधि ऋण एवम् अग्रिम

रु ००० में

विवरण		31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
(क) कर्मचारियों को ऋण एवं व अग्रिम			
रक्षित, बढ़िया सुविचारित		829	1,583
अरक्षित, बढ़िया सुविचारित		शून्य	शून्य
संदिग्ध		शून्य	शून्य
(ख) पूर्व अदायगी व्यय (बीमा)		21,520	32,038
(ग) अन्य		700,296	69,952
अग्रिम आयकर	27,950		27,664
अग्रिम प्रवेश कर	188,798		-
सीमा शुल्क	1,612		9,291
इ आइ एल चक्र राशि	300		300
अग्रिम स्रोत पर कर कटौती	54,530		32,556
संघटन अग्रिम	301,103		-
संघटन अग्रिम-अन्य	7,174		-
अन्य को अग्रिम	118,829		141
कुल		722,645	103,573



टिप्पणी 16 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

रु ००० में

विवरण		31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
(क) गैर अधिसूचित राजस्व		शून्य	शून्य
(ख) अपरिशोधित व्यय		38,640	शून्य
(ग) संग्रहण			
अल्पावधि जमा पर ब्याज संग्रहण		2,223	2,134
संघटन अग्रिम पर सूद संग्रहण		10,196	2,267
क्रेन किराया संग्रहण		1,257	-
(घ) अन्य		348,126	331,393
बीमा	7,529		372
असम सरकार (ठेकाकर)	331,163		326,874
ठेकेदार	1,122		22
आपूर्तिकर्ता	60		-
कर्मचारी	140		74
क्रेन किराया वसूली	8,112		4,051
कुल		400,442	335,794

टिप्पणी :

1. असम सरकार से ठेका कर (डब्ल्यू सी टी) के रूप में प्राप्य राशि को अल्पावधि संपत्ति के रूप में माना गया है क्योंकि कि इसका दावा किया जा चुका है एवम् यह राशि आगामी वर्ष प्राप्त होगी।
2. विलंबित व्यय को उत्पाद के प्रथम वर्ष में परिशोधित करने की लेखा नीति में किये गये परिवर्तन के कारण आशा है कि 38640407/- रु का अपरिशोधित व्यय वर्ष 2013-14 में परिशोधित हो जायेगा।

टिप्पणी : 17 अन्य व्यय

रु ००० में

विवरण	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
(ए) सकल लाभ / हानि विदेशी मुद्रा विनिमय व रूपांतर से	177,519	शून्य
(वि) पूर्वावधि समायोजन (सकल लाभ/हानि विदेशी मुद्रा विनिमय व रूपांतर)	31,618	शून्य
कुल	209,137	-



टिप्पणी 18 : वित्तीय वक्तव्य संबंधी अतिरिक्त जानकारी

1. संशोधित परियोजना लागत

समय और लागत को बढ़ाए जाने के कारण प्राथमिक चरण में कंपनी ने परियोजना लागत को रु. 5,460.61 करोड़ से रु. 8,920 करोड़ तक संशोधित कर दिया, जिसके फलस्वरूप पूरा करने की अवधि अप्रैल 2012 से दिसंबर 2013 कर दी गई। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ नं. 45012/23/10-पीसी-1 दिनांक 2 दिसंबर 201 के जरिए सीसीईए को मंजूरी दी।

2. संशोधित अनुसूची VI के आधार पर लाभ और नुकसान खाते की तैयारी।

चूंकि कंपनी निर्माणाधीन चरण में है और अब तक किसी प्रकार का भी वाणिज्यिक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, संशोधित अनुसूची VI और कंपनी अधिनियम 1956 की जरूरत को ध्यान में रखते हुए और विदेशी मुद्रा के लेनदेन तथा रूपांतर खाते के लाभ/नुकसान की जांच हेतु लेखा नीति की बदलाव की रेखा पर लाभ और नुकसान अकाउंट की तैयारी विदेशी मुद्रा की अस्थिरता पर शुद्ध नुकसान को खर्च की मद पर लिखकर की जाती है। क्रमशः प्रति शेयर ऋणात्मक उपार्जन की गणना आबंटित इक्विटी शेयर के भारित औसत के आधार पर लेखा मानक 20 के अनुसार की गई है। यह भी दर्ज करना प्रासंगिक है कि निर्माणाधीन अवधि के दौरान प्रासंगिक खर्च को पूंजीकरण में अचल परिसंपत्ति के बकाया आँवटन को प्रगत्याधिन पूंजीगत कार्य के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

3. लेखा नितियों में बदलाव

(i) मूल्य घटाने की प्रक्रिया में बदलाव का प्रभाव : चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने अपने आरंभ की तिथि अर्थात् 08.01.2007 से पूर्वव्यापी, प्रभाव से अचल परिसंपत्ति पर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड (डब्ल्यूडीवी) से स्ट्रेट लाइन मेथड (एसएलएम) तक मूल्य घटाने के संदर्भ में अपनी लेखा नीति में बदलाव किया है। यह बदलाव अपने धारण कंपनी गैल (इंडिया) लिमिटेड से बराबरी लाने के उद्देश्य से किया गया। मूल्य घटाव की प्रक्रिया में बदलाव के फलस्वरूप निर्माणाधीन अवधि के दौरान अचल परिसंपत्ति में बंटवारे को लेकर विचाराधीन प्रासंगिक खर्च रु. 8, 41, 83, 719 तक घट गया जबकि समान रूप से अचल परिसंपत्ति पर सकल ब्लॉक में बढ़ोत्तरी हुई।

(ii) विदेशी विनिमय में भिन्नता पर शुद्ध नुकसान/लाभ की जांच में बदलाव का प्रभाव:

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी लेखा नीति में पूर्व व्यापि प्रभाव से बदलाव करते हुए विदेशी मुद्रा में आये फर्क से हुए लाभ/नुकसान को लाभ हानि खाते में दर्ज करते हुए परिसंपत्ति की लागत में समायोजित किया है। जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध विदेशी मुद्रा हानि 31.03.2012 (पूर्वावधि समायोजन सहित) तक 31617789 रु है एवम् वर्ष 2012-13 में, 17,00,63,692.00 रु का शुद्ध नुकसान 'लाभ हानि विवरण' में समतुल्य खर्च के मद सहित 31.03.2013 को 'प्रगत्याधिन पूंजीगत कार्य' से घट गया है।

4. चूंकि वाणिज्यिक उत्पादन निर्माणाधीन अवधि में प्रारंभ नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष खर्च जो निर्माण एवं अचल परिसंपत्ति अधिग्रहण से जुड़ा नहीं था, इसे 'निर्माणाधीन अवधि के प्रासंगिक व्यय' के अधीन लाया गया। 31.03.2013 तक रु. 3, 86, 40, 407 की राशि निगमीकरण व्यय सीएसआर गतिविधियों, जनसंपर्क स्थापना हेतु विज्ञापन आदि में खर्च की गई। जिसे वित्तीय वर्ष 2011-12 तक बिलंबित खर्च में शामिल किया गया, इसे पहले वर्ष के वाणिज्यिक उत्पादन के समय बट्टे खाते डाल दिया जायेगा



ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड

5. पिछले वर्ष के अंकों को जरूरत के अनुसार चालू वर्ष में पुनः एकत्रित/पुनःवर्गीकृत कर दिया गया।
6. असम सरकार से कार्य ठेका कर की मांग

माँग का विवरण :-

रु में राशि

01.04.2012 को	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10, 2011-12)	32, 68,74,001	23,98,24,950
वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए मांग-	32,90,88,709	29,56,37,759
कुल मांग :	65,59,62,710	53,54,62,709
वर्ष के दौरान घटा प्राप्ति	32,48,00,000	20,85,88,708
31.03.2013 को प्राप्त करने योग्य	33,11,62,710	32,68,74,001

7. पूंजीगत सहायता पर अर्जित ब्याज का कर निर्धारण

एम ओ सी एफ के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूंजीगत सहायता से जमा हुई राशि पर अर्जित ब्याज पूंजीगत सहायता का अंश है तथा इस तरह पूंजीगत सहायता पर अर्जित ब्याज की आय बी सी पी एल के लिए कर योग्य नहीं है। इसके अनुसार कंपनी ने राशि लौटाने का दावा किया है, जो निम्न है :-

वर्ष	रु
2008-09	2, 77, 12, 793
2009-10	1, 85, 09, 419
2010-11	1, 09, 90, 510
2011-12	1, 42, 85, 640
कुल	7, 14, 98, 362

आईटीएटी/ सीआईटी (अपील) द्वारा मामले की निबटारे तक, वित्तीय वर्ष 2012-13 के पूंजीगत सहायता पर पार्किंग से प्राप्त शुद्ध ब्याज पूंजीगत सहायता के भाग के रूप में मानी गई। यदि आईटीएटी में अपील को कंपनी के पक्ष में सुना जाता है और बाद में आयकर प्रबंधन द्वारा वापस की जाती है तो यह पूंजीगत सहायता का हिस्सा माना जाएगा। मगर, ऐसे ब्याज के लिए आयकर का विधान बनाया गया है।

8. परियोजना अवधि के दौरान अल्पावधि जमा (एसटीडीआर्ज)

से अर्जित पर ब्याज का कर निर्धारण-चूंकि कंपनी निर्माणाधीन चरण में है, योग्य स्थिति (एसएसटीडीआर्ज) में राशियों को डालने से प्राप्त ब्याज की कमाई परियोजना के स्थापना से 'पूर्ण रूप से जुड़ी' है और कंपनी से प्राप्त कानूनी सलाह के अनुसार कर देने योग्य नहीं है। मगर बैंक द्वारा डीटीएस कम किया जा रहा है। 264 धारा के अधीन सीआईटी (टीडीएस), गुवाहाटी को कर न काटने के आवेदन को रद्द किये जाने के विरुद्ध आवेदन किया गया है।



उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए कंपनी ने इक्वटी लोन और सब्सिडी की राशियों के पार्किंग के शार्ट टर्म डिपोजिट से प्राप्त आय पर एडवांस टैक्स जमा न करने का निर्णय लिया। किंतु सावधानी बरतते हुए आवेदनों की निष्पत्ति हेतु जरूरी कर विधानों को बनाने को विचाराधान रखा गया।

9. परियोजना पर प्रवेश कर की छूट

31 मार्च, 2013 तक रु. 18, 87, 97, 830/- (पिछला वर्ष रु. 15, 84, 26, 24/-) हेतु अधिसूचना सं एफटीएक्स. 58/2008/254 दिनांक 20.10.2012 का अनुसरण करते हुए 20.10.2009 के पूर्व व्यापी प्रभाव सहित असम एंटी टैक्स एक्ट 2008 के अधीन निधारित पूंजीगत सामानों पर प्रवेश कर की राशि की छूट का दावा टैक्स अथोरिटी से वापसी हेतु विचाराधीन है।

10. आयकर का प्रावधान :

जैसा कि पारा 8 में ऊपर संकेत दिया गया है, 7, 17, 08, 800 रु. (पिछले वर्ष रु. 1, 17, 96, 132/-) के लिए वर्ष 31.03.2013 की समाप्ति पर आयकर के प्रावधान की पहचान की गई, जिसमें ऋण, इक्वटी और पूंजीगत सहायता तथा अन्य उपार्जनों में बचत राशि को निवेशित रख एसटीडीआर्ज के प्राप्त ब्याज पर चालू वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान शामिल है। वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2010-11 हेतु क्रमशः रु. 2, 86, 27, 216/- और रु. 60, 81, 894/- के लिए विधान कर प्रावधान की भिन्नता को शामिल नहीं करता है। पूंजीगत सहायता के बचत राशि निवेश पर ब्याज से प्राप्त आय को शामिल करने के लिए सीआईटी (अपील) द्वारा मामले का निपटारा विचाराधीन है।

11. सेनवेट लाभ की स्वीकृति

सेनवेट क्रेडिट की स्वीकृति 16.11.2011 से एक्साइज लाभ को हटाने जाने की तिथि से हुई। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान जहां लागू हुई सीडब्ल्यूआईपी/फीक्सड एसेट्स/इंवेन्ट्री (निर्माणाधीन सामग्रिया) के बदले 31.03.2013 तक योजना के प्रारंभ होने के समय से रु. 343, 99, 90, 426/- सीनवेट रकम की राशि हुई।

सीमा शुल्क विभाग के रिटर्न फाइल के अनुसार 31.03.2013 तक रु. 343, 99, 90, 426/- के स्थान पर रु. 300, 85, 61, 357/- कुल सीनवेट रकम हुई। 31.03.2013 के पुस्तक में जो अवर्तमान परिसंपत्ति के रूप में दिखाई गई है। विभिन्न आधार के कारण भिन्नता की सृष्टि हुई, जैसे साइट पर ऐसे सामानों को प्राप्ति के आधार पर योग्य सामानों की सीनवेट ली गई जबकि खातों में बुकिंग भुगतान के आधार पर है।

12. विलंबित कर देयता

चूंकि योजना निर्माणाधीन चरण में है इसीलिए विलंबित कर बकाया की पहचान नहीं की गई।

13. पट्टे पर भूमि

रु. 81, 84, 38, 860/- के पट्टे पर ली गई जमीन 30 वर्ष की अवधि के लिए दी गई है, जिसे असम सरकार के नाम पर रखा गया है, इसलिए तय समयसीमा तक चुकाया जाएगा। वित्तीय वक्तव्य के सूचना सं 9 के अधीन ऐसी भूमि को प्रकट संपत्ति के रूप में दर्शाया गया है।

14. उपयोग के अधिकार

अप्रकट संपत्ति के रूप में दर्शाए गए गैस की प्राप्ति एवं आपूर्ति के लिए भूतल पाइपलाइन बिछाने एवं मरम्मत करने के उद्देश्य से कंपनी ने प्रयोग का अधिकार (आरओयू) प्राप्त किया है। रु. 7, 56, 25, 684/- (पिछले वर्ष 7, 56,



25, 684) के व्यवहार का निरंतर अधिकार कंपनी के पास है, भूमि के मालिक कंपनी पर प्रतिपादन नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है। मगर प्रयोग के अधिकार का खर्च (सीमित प्रयोग सीमा) जो 10 वर्ष के लिए है का ऋण प्रयोग के अधिकार के अतिरिक्त चुकाने होंगे।

15. लोक निर्माण विभाग के साथ जमा

लोक निर्माण विभाग के साथ पाइपलाइन बिछाने की अनुमति हेतु जमानती के रूप में 2,03,127/- रु (पिछले वर्ष 2,03,127) रखे गये हैं।

16. लेखापरीक्षकों के शुल्क

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए लेखापरीक्षकों के लिए पॉकेट एक्सपेंसेस आदि से सेवा कर रहित रु, 1,50,000/- (पिछले वर्ष रु, 75,000/-) निर्धारित किया गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 में अन्य सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों को 15,000/- (बिना करके) दिया गया।

17. बीमा

खाते में रु, 11, 04, 853/- (पिछले वर्ष रु, 3, 47, 260/-) बीमा मांग को स्वीकृति प्रदान की गई।

बीमा दावों की पहचान तभी की जाती है जब इस राशि की विश्वसनीयता परिमित एवम् वसूली समूचित रूप से सुनिश्चित हो।

18. पूंजीकरण

वर्ष में रु. 1, 93, 98, 370/- (पिछले वर्ष 42, 16, 65, 949/-) राशि की परिसंपत्तियाँ बही-खाते में पूंजीकृत की गई हैं।

19. आकस्मिक देयताएँ

(क) कंपनी के विरुद्ध मांग को ऋण नहीं माना : शून्य

(ख) गारंटीज :

(i) कंपनी ने ऑयल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड (ओआइडीबी) के ऋण सहयोग रु. 250 करोड़ (पिछला वर्ष शून्य) का सम्मान करते हुए ओआइडीबी के प्रति गेल की कारपोरेट गारंटी के बदले मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड के प्रति बैंक टू बैंक गारंटी का प्रबंध किया है।

(ii) कंपनी ने 21 फरवरी 2013 को मेसर्स ऑयल (इंडिया) लिमिटेड के साथ हुए अंतर निगमित समझौते के तहत 250 करोड़ रुपये के अनुमोदित एवम् वितरित ऋण की निगमित गारंटी दी है। यह निगमित गारंटी ऋण के प्रथम प्रभार द्वारा रक्षित रहने तक वैध है।

(ग) अन्य राशि जो कंपनी की आपात देयता है

(i) कंपनी को सेवा कर प्रकोष्ठ, डिब्रुगढ़ से प्राप्त पत्र में बताया गया है कि सी इ आर ए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसानरबी सी पी एल ने विदेशी सेवा प्रदाता की सेवाओं के संदर्भ में रु 24,94,151/- सेवा कर का भुगतान कम किया है। कंपनी ने विभाग द्वारा अपनाई गई गणना पद्धति को जारी अधिसूचना के अनुरूप नहीं होने के कारण मामले को विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए प्रबंधन का मानना है कि किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है।

(ii) 15 वैधानिक मामलों में कंपनी एक पक्ष के रूप में जुड़ी हुई है। वर्तमान में इनमें से एक मामले को



छोड़कर जहाँ मेसर्स ई पी आई एल ने नई दिल्ली में रु. 34.06 करोड़ का दावा स्थायी मध्यस्थ प्रणाली के तहत ठेके का भार उतारने पर उत्पन्न विवाद के कारण किया है एवम् मेसर्स आर्यन लॉजिस्टिक्स ने भी दीवानी अदालत अलीपुर (दक्षिण) में रु. 0.51 करोड़ का दावा ठोका है। दावे की वैधानिक स्थिति पर विचार पर कंपनी ने इस दावे के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान 31.03.2013 तक बैंकर्स के जरिए 76.23 करोड़ रु. (पिछले वर्ष रु. 430.15 करोड़) के विदेशी ऋण पत्र जारी करने की व्यवस्था की है।

20. प्रतिबद्धताएँ

(क) पूंजीगत खाते में क्रियावित होने वाले ठेके की शेष अनुमानित राशि का प्रावधान नहीं किया :

	2012-13 (रु. करोड़ में)	2011-12 (रु. करोड़ में)
मूर्त परिसंपत्तियाँ	1870.78	3374.94
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	49.45	70.78
कुल	1920.23	3445.72

21. जमा राशि पुष्टीकरण

निर्दिष्ट दुकानदारों/ठेकेदारों/ प्रबंधनों से ऋण अग्रिम, जमा एवं विभिन्न ऋणियों से जमा राशि प्रमाणीकरण मांगा गया। लेखा परीक्षकों को ने पांच प्रमाणीकरण प्राप्त हुए। बाकी पुष्टीकरण व सामंजस्य पर आधारित हैं।

22. विदेशी मुद्रा लेन-देन

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा पूंजीगत सामग्री के संदर्भ में सी आई एफ आधार पर परिगणित आयात मूल्य 3399318652/- रु. (पिछले वर्ष 3323269878/- रु.) है।

(ख) विदेशी मुद्रा पर खर्च में निम्नलिखित समाहित है :-

अनुज्ञाप्तिदाता हेतु शुल्क (टी डी एस पर सफल) रु. 190996216/-

(पिछला वर्ष रु, शून्य)

अन्य (सकल कर, जहाँ प्रायोज्य

रु. 1291739964/-

(पिछला वर्ष रु. 16524,51,822)

(ग) लेखा नीति में बदलाव को देखते हुए 31.03.2013 तक वर्ष भर में विदेशी मुद्रा के लेनदेन एवं रूपांतर लाभ एवं नुकसान खाते में खाते रु.17,75,19,086/- (पिछला वर्ष शून्य) का शुद्ध नुकसान लिखा गया।

23. प्रतिनियुक्ति पर व्यय :

वर्ष 2012-13 के दौरान गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर 17,74,83,893/- (पिछले वर्ष 9,65,74,979/- रु) का व्यय हुआ। एन आर एल द्वारा जारी किये गये डेविट एडभाइस के आधार पर उक्त व्यय को आई ई डी सी शीर्षक खाते में दर्ज किया गया है। असम सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारी पर 6,68,864 रु (पिछले वर्ष 5,70,984 रु) का व्यय हुआ।



24. संबंधित पक्षों का विवरण :

अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, 2006 के अधीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में उल्लेखानुसार प्राप्त जानकारी अनुसार संबंधित पार्टियों का विवरण निम्नलिखित है :

संबंधित पक्षों के नाम और संबंध का विवरण

क्रम.सं.	संबंधित पार्टी का नाम	
(क) नियंत्रक कंपनी :-		
1.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	
(ख) संयुक्त मालिक :		
1.	नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	
2.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	
3.	असम सरकार	
(ग) प्रमुख प्रबंधन अधिकारी		
1.	श्री पी. एन. प्रसाद	प्रबंध निदेशक
2.	श्री राकेश कुमार (22.05.2012 तक)	वित्त निदेशक
3.	श्री जी. प्रसाद	प्रमुख संचालन अधिकारी
4.	श्री ए. के. तिवारी	प्रमुख वित्त अधिकारी

लेनदेन का विवरण :

विवरण	2012-13	2011-12
(क) नियंत्रक कंपनी		
प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के वेतन पर खर्च	₹ 17,38,76,453/-	₹ 9,37,53,690/-
संपत्ति की खरीद पर किया गया भुगतान	शून्य	शून्य
इक्विटी शेयर योगदान	शून्य	₹ 3,75,82,51,000/-
किराये के रूप में किया गया भुगतान	₹ 71,89,562/-	₹ 76,50,085/-
31.03.2013 तक वर्तमान देयताएं एवम् प्रावधान	₹ 1,75,00,000/-	₹ 1,37,00,716/-
(ख) संयुक्त मालिक		
गैस आपूर्ति हेतु आधारभूत पर व्यय राशि	शून्य	₹ 34,39,58,456/-
गैस आपूर्ति हेतु आधारभूत संरचना के विकास पर व्यय राशि	₹ 92,10,10,451/-	₹ 38,18,50,000/-
प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के वेतन पर खर्च	₹ 42,76,304/-	₹ 33,92,273/-
इक्विटी शेयर का योगदान	₹ 34,44,00,000/-	₹ 1,61,06,79,000/-



(ग) प्रमुख प्रबंधन अधिकारी :		
निदेशकों के पारिश्रामिक	`25,50,178/-	`29,15,191/-
बकाया राशि (देने योग्य)	शून्य	शून्य

25. खण्डीय प्रतिवेदन (एएस 17)

कंपनी निर्माण चरण में है, इसलिए कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली 2006 का लेखांकन मानक 17 'खण्डीय प्रतिवेदन' इस पर लागू नहीं होता है।

26. सुक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम का बकाया

कंपनी की उपलब्धि जानकारी को बढ़ाते हुए, सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को रु, 15, 31, 717 (पिछला वर्ष रु 12, 85, 594/-) की राशि देय है। इसमें जमा राशि आदि शामिल है एवम् इससे कोई राशि बिलंबित देय नहीं है।

हस्ता./-
(पी एन प्रसाद)
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
(एस. वेक्टरमण)
निदेशक

हस्ता./-
(एके तिवारी)
प्रमुख वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(रुली दास सेन)
कंपनी सचिव

हमारे समदिनांकित पृथक प्रतिवेदन के अनुसार

हेतु दास एण्ड शर्मा
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म नं : 314214ई
हस्ता.
(विनय कुमार दास)
भागीदार
सद सं. 51898

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 20-05-2013



महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार

1. लेखांकन एवं वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

(क) वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों एवम कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ऐतिहासिक लागत प्रथा का पालन करते हुए तैयार किये जाते हैं।

(ख) अनुमानों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में संपत्ति और देनदारियों की बताई गई राशि का आंकलन और अनुमान करने, वित्तीय विवरण की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण का प्रबंधन जरूरी होता है। इन आकलनों के उदाहरण में अचल संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन और लीज संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन शामिल है। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. माल सूची

क) कच्चे माल और तैयार उत्पाद का मूल्य निर्धारित लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इनमें जो कम हो, पर होता है। तैयार उत्पादों में उत्पाद शुल्क और रायल्टी, जहां जो लागू हो, शामिल होते हैं।

ख) प्रक्रियागत स्टॉक की मूल्य निर्धारित लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर होता है। जहां तैयार उत्पाद, जिनमें ये दोनों शामिल होते हैं, की लागत या इससे ज्यादा पर बेचे जाने की संभावना हो, वहां इसका मूल्य निर्धारण लागत पर होता है।

ग) माल के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले सामान और पूर्ण व अन्य सामग्री का मूल्य भारित औसत लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इनमें से जो कम हो, तय होता है। जहां तैयार उत्पाद, जिनमें ये दोनों शामिल होते हैं, की लागत पर या इससे ज्यादा पर बेचे जाने की संभावना हो, वहां इसका मूल्य निर्धारण भारित औसत लागत पर होता है।

घ) अतिरिक्त/बेकार सामान व पूर्ण का मूल्य निर्धारित लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर होता है।

ङ) अतिरिक्त/बेकार पूंजीगत सामग्री, जिसका इस्तेमाल किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के इतर किया जाता हो, के मूल्य का निर्धारण लागत या शुद्ध वसूली योग्य कीमत में से, जो कम हो पर होता है।

च) पूंजीगत कार्य में उपयोग में लिए ठेकेदारों को परियोजना सामग्री के सभी मामलों का मूल्यांकन भारित औसत मूल्य में किया गया है।

3. अचल परिसंपत्तियां, पूंजीगत प्रगत्याधीन कार्य एवं अवमूल्यन/परिशोधन

क) अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्ति की कीमत सुसंगत तरीके से ऐतिहासिक लागत पर आंकी जाती है। इसमें इससे संबंधित प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। कमीशंड परिसंपत्तियों के मामले में जहां ठेकेदार को देय अंतिम भुगतान लंबित है, पूंजीकरण अंतिम आधार पर किया जाता है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए लंबित अंतिम देयता



भी शामिल है, जो लागत तथा अवमूल्यन में निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन है।

मशीनरी पूर्ण, जिन्हें अचल संपत्ति के मद के संबंध में ही प्रयोग में लाया जा सकता है तथा जिनका उपयोग अनियमित होने की आशा है, उन्हें संपत्ति की लागत के साथ परिशोधित किया जाएगा तथा उस संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन अवधि के दौरान पूर्णतया अवमूल्यन किया जाएगा।

सरकारी अनुदानों से प्राप्त परिसंपत्तियों को पूंजी आरक्षित राशियों में संगत क्रेडिट के जरिए मूल्यांकित किया जाता है

ख) अमूर्त परिसंपत्तियां

साफ्टवेयर लाइसेंस एवं भूमि के उपयोग के अधिकार अधिग्रहण के दौरान फसल क्षतिपूर्ति जैसे आरओयू, जिसे भविष्य में स्थायी लाभ प्राप्त होने की आशा है, उन्हें अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में परिशोधित किया जाएगा।

ग) पूंजीगत प्रगत्याधीन कार्य

पूंजीगत प्रगत्याधीन कार्य में पीएमसी पुल्क/पूंजीगत सामग्री के लिए अग्रिम/मार्गस्थ सामग्री/सामग्री का मूल्य/उपकरण, जो परियोजनाओं में उपयोग के लिए कार्यस्थल पर प्राप्त किए गए, शामिल हैं।

घ) निर्माण अवधि के दौरान किए गए व्यय

निर्माण अवधि के दौरान किए गए सभी राजस्व व्यय, जो प्रत्यक्ष अथवा पराक्ष रूप से अचल संपत्तियों की अधिप्राप्ति/निर्माण से जुड़ी हैं, उन्हें ऐसी परिस्थितियों में कार्य आरंभ करते समय पूंजीकृत किया जाएगा।

ङ) अवमूल्यन/परिशोधन

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने अचल संपत्तियों की अवमूल्यन प्रणाली में परिवर्तन करते हुए भुगतान मूल्य (डब्ल्यू डी बी) विधि के स्थान पर सरल रेखा (एस एल एम) विधि को पूर्व व्यापी प्रभाव से कंपनी की प्रारंभिक तिथि 08.01.2000 से लागू किया है। नीचे दर्शायी गई अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में सरल रेखा विधि की निदिष्ट दरों के अनुसार अवमूल्यन किया गया है।

1. 5000 रूपए तक की संपत्तियों का पूंजीकरण के वर्ष में पूर्णतया अवमूल्यन किया गया है।
2. बैंक हाउसेस (शायिका गृहों) का पांच वर्ष के अनुमानित जीवन के आधार पर अवमूल्यन किया गया है।
3. पट्टाधारक भूमि की कीमत को 30 वर्ष की बंधक अवधि के दौरान परिशोधित किया जाएगा।
4. जिन परिसंपत्तियों का स्वमित्व कंपनी के पास नहीं है था जिन्हें अनुज्ञात्मक सुविधाओं के रूप में दर्शाया जाता है, को अलग से “पूंजीगत व्यय-अनुज्ञात्मक सुविधाएं” शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। इस परिस्थितियों का परिशोधन, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल की तिथि से किया जाएगा।
5. अमूर्त परिसंपत्तियों को उनकी मान्यता के वर्ष से आरंभ करते हुए पांच वर्षों की अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाएगा।
6. स्थायी परिसंपत्तियों की मूल लागत में विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों अथवा अन्यथा के कारण मूल्य समायोजन के परिणामस्वरूप अवमूल्यन को भावी प्रभाव से प्रभावित किया जाएगा।
7. अवधि के दौरान निर्माण अप्रत्यक्ष खर्च संबंधित नहीं हैं और न ही उसके आनुषंगिक विषयों का निर्माण कार्य पूरा होगा, वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम वर्ष में कंपनी की हैं।
8. पट्टे पर आरोप लगाया जा रहा है कि कोई मूल्यहास मैं प्रकृति पर जा रहा है और उपयोगी बनाने के जीवन को सीमित।
9. साफ्टवेयर एवम् अनुज्ञापत्रों का परिशोधन सरल रेखा पद्धति अनुसार 5 वर्ष की अवधि में किया जायेगा।



4. उधारी लागत

निधियों के उधार लेने की लागत, जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के विषिष्ट उद्देश्य से लिया जाता है तथा संपत्तियों की लागत के साथ-साथ पूंजीकरण के लिए पात्रता रखती है, उन्हें परिसंपत्ति के उपयोग की तारीख तक पूंजीकृत किया जाएगा तथा उसमें से ऐसी दिधियों के अस्थायी निवेश से प्राप्त आय को कम करना भी शामिल है।

5. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- (क) विदेशी मुद्रा लेन-देन उस विनिमय दर से दर्ज होता है, जो लेन-देन की तिथि पर कायम थी।
- (ख) वर्ष के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में श्रेणीबद्ध वित्तीय मदों (जैसे नगद, प्राप्त करने योग्य राशियां, ऋण देय राशियां आदि) को वर्ष के अंत में विद्यमान विनिमय दरों (देय राशियों के लिए बीसी विक्रय दर तथा प्राप्त करने योग्य राशियों के लिए टीटी क्रय दर) परिवर्तित किया जाएगा।
- ग) विदेशी मुद्राओं में श्रेणीबद्ध गैर-वित्तीय मदों (जैसे निवेश, स्थायी परिसंपत्तियां आदि) के लेन-देन की तिथि को विद्यमान दर पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- (घ) क्षय योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा वित्तीय मदों को छोड़कर भुगतान या परिवर्तन के विनिमय अंतर के कारण हुए लाभ या नुकसान का हिसाब लाभ-हानि खाते में रखा जाता है, अन्यथा उन्हें ऐसी परिसंपत्ति की दीर्घावधि लागत में समायोजित किया जाता है एवम अन्यान्य परिस्थितियों में वित्तीय विवरण में “विदेशी मुद्रा वित्तीय मद परिवर्तन भिन्नता खाते” में संचित कर ऐसी दीर्घावधि परिसंपत्तियां देनदारी की बकाया अवधि में आय या व्यय के रूप में चिह्नित कर परिशोधित किया जाता है।

6. भारत सरकार द्वारा पूंजीगत अनुदान

प्रवर्तक अंशदान के रूप में अशोधनीय सरकारी अनुदानोंको पूंजी आरक्षित निधि खाते में अंतरित किया गया है तथा उन्हें शेयरधारक निधियां माना जाता है।

7. कार्मिकों के हितलाभ

- क) अल्पावधि के समस्त लाभों को लेखांकन की अवधि में उनकी अबट्टागत मूल्य पर स्वीकृत किया जाता है, जिनमें कि वे खर्च हुए हैं।
- ख) भविष्य निधि के संदर्भ में परिभाषित योगदान केतहत कर्मचारियों की लाभ निधि में कंपनी के योगदान के अबट्टागत दायित्व के आधार पर मान्य होते हैं। भविष्य निधि के क्षेत्रीय आयुक्तों के पास भविष्य निधि के खाते में इसका भुगतान कर दिया जाता है।
- ग) कर्मचारी लाभों के संदर्भ में खर्चों एवं देनदारियों को आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखांकन मानक-15 -कर्मचारी लाभ (संशोधित 2005) के अनुरूप दर्ज किया जाता है।

8. आय पर कर

- क) निर्माण अवधि के दौरान कर का प्रावधान, निर्माण अवधि के दौरान निवेशों पर अर्जित ब्याज पर किया जाता है, जिसे कर प्रयोजनों के लिए अन्य स्रोतों से आय के रूप में जाना जाता है। ऐसे प्रावधान से “आईडीडीसी-एसटीडीआर पर ब्याज” शीर्ष के अंतर्गत नावे किया गया है।
- ख) संयंत्र शुरू हो जाने पर कंपनी, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आईई के तहत कर प्रोत्साहनों के लिए योग्य मानी जाएगी तथा इसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 115 जेबी के अंतर्गत केवल न्यूनतम वैकल्पिक कर दी देना होगा।

9. प्रारंभिक व्यय

व्यवसाय और नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के संबंध में आए अर्हता प्राप्त प्रारंभिक व्यय को संयंत्र के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार हो जाने के बाद पांच वर्ष की अवधि के दौरान बराबर मात्रा में चुका दिया जाता है।



10. संपत्ति की क्षति

अगर प्रतिवेदन वाली तिथि को सावधि परिसंपत्तियों को वहन करने वाली धनराशि योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो वहन करने वाली धनराशि को भरपायी की जाने वाली राशि तक घटा दिया जाता है। भरपायी वाली राशि का मूल्यांकन, शुद्ध विक्रय मूल्य और अनुमानित भावी नगद प्रवाह के तहत निर्धारित वर्तमान मूल्य, में जो अधिक हो, लिया जाता है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

- क) पूर्व कार्य के परिणामस्वरूप वर्तमान प्रतिबद्धता होने पर प्रावधानों को माना जाता है तथा उस प्रतिबद्धता जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है, के लिए संसंधनों का प्रवाह अपेक्षित होने की संभावना है।
- ख) व्यय के लिए देयताओं को तभी पहचाना जाता है, जब ऐसी देयताएं 0.10 लाख रुपए से अधिक हो जाती हैं।
- ग) आस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्य किया जाता है और न ही घोषित किया जाता है। प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपए से अधिक की प्रासंगिक देनदारियां लेखा विभाग की टिप्पणी के रूप में घोषित की जाती हैं।
- घ) पूंजीगत खातों पर क्रियान्वित होने के लिए अनुबंधों की शेष अनुमानित धनराशि को 5 लाख से ऊपर प्रत्येक मामले में घोषित किया जाता है।

12. खंडीय प्रतिवेदन

कंपनी का केवल एक खंड है, अतः कंपनी (लेखा मानक) नियमावली 2006 के लेखा मानक-17 के अनुसार कोई प्रतिवेदन खंड नहीं है।

13. सामान्य

- क) पूर्वदत्त व्यय तथा पूर्व अवधि के व्यय/आय प्रत्येक मामले में 1.00 लाख रुपए तक की राशि को चालू वर्ष के संबंधित खाता शीर्षों में प्रभारित किया जाएगा।
- ख) निर्णीत हर्जाना, यदि कोई हो, को यथासमय वसूली होने पर लेखाबद्ध किया जाएगा तथा प्रबंधन द्वारा इस विषय का निपटारा किया गया माना जाएगा। निर्णीत हर्जाना, यदि संपत्ति के पूंजीकरण के बाद निपटाया जाता है, तो 50.00 लाख रुपए से कम के प्रत्येक मामले को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है, अन्यथा संबंधित संपत्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है।
- ग) बीमा दावों को बीमाकर्ताओं द्वारा को स्वीकार किए जाने पर लेखाबद्ध किया जाएगा।
- घ) सीमा शुल्क तथा अन्य दावों को (देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज सहित) सिद्धांत रूप से स्वीकृति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाएगा।

हस्ता./-
(पी एन प्रसाद)
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
(एस. वेक्टरमण)
निदेशक

हस्ता./-
(एके तिवारी)
प्रमुख वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(रुली दास सेन)
कंपनी सचिव

हमारे समदिनांकित पृथक प्रतिवेदन के अनुसार

हेतु दास एण्ड शर्मा
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म नं : 314214ई
हस्ता.
(विनय कुमार दास)
भागीदार
सद सं. 51898

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 20-05-2013



निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

रु ००० में

विवरण	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
ऋणदाताओं को ब्याज व्यय	763,884	177,118
ओ डी आइ बी ब्याज व्यय	308,479	232,589
ऑयल ब्याज व्यय	13,134	-
बैंक व्यय	18	21
विज्ञापन व प्रचार	3,131	863
सी आई एस एफ व सुरक्षा	81,636	46,997
संचार व्यय	3,746	3,315
अवमूल्यन	(23,561)	87,990
बीमा	89,090	156,538
अन्य आधारभूत संरचना व्यय	4,502	5,110
अस्थायी श्रमिक व्यय	10,458	10,126
अन्य	13,039	15,716
लेखापरीक्षकों को भुगतान	1,612	113
बिजली, ईंधन एवम् पानी शुल्क	13,189	16,815
मुद्रण व लेखा सामग्री	3,581	2,484
व्यवसायिक व परामर्श शुल्क	14,824	12,044
दर एवम् कर	104,494	13,919
भर्ती व प्रशिक्षण व्यय	5,118	11,391
किराया	12,314	15,244
मरम्मत व रख रखाव	5,504	515
वेतन, मजदूरी व कर्मचारी लागत	318,893	193,466
सर्वेक्षण एवम् अन्वेषणात्मक व्यय	(478)	9,450
नगरक्षेत्र व अतिथिशाला रखरखाव	2,656	4,017
यात्रा व्यय	22,056	17,372
वाहन किराया व प्रचालन व्यय	33,551	34,321
कल्याणकारी व्यय	396	355
स्वीकृति सुविधा अन्य आधारभूत संरचना	-	97
क्रेन किराया व्यय	283,330	11,573
प्रासंगिक व्यय 07-08 बकाया समायोजन	90,527	90,963
प्रासंगिक व्यय 08-09 बकाया समायोजन	126,203	127,836
प्रासंगिक व्यय 11-12 बकाया समायोजन	964,533	-
प्रासंगिक व्यय 09-10 बकाया समायोजन	300,174	293,498
प्रासंगिक व्यय 10-11 बकाया समायोजन	479,034	472,952
सिवके का समायोजन	-	-
कुल	4,049,067	2,064,808
सी एल टी डी पर बैंक ब्याज	13,313	2,832
एस टी डी आर पर बैंक ब्याज	25,794	46,831
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	(1)	-
अन्य आय	11,515	9,564
अन्य आय बिजली से	102	145
क्रेन किराया की बसूली	26,139	3,673
विविध आय मकान भाड़ा प्राप्ति से	139	366
ए एस इ बी के पास जाम राशि पर ब्याज की विविध आय	271	-
लीज किराया बसूली से विविध आय	1,630	966
पी आर एस बंद करने से (अंतरदेशीय)	30,796	14,273
आई इ डी सी पूंजीकरण	-	21,987
इ एम डी/एस डी के जब्त करने से आय	1,877	-
संविदा पत्र की बिक्री से विविध आय	264	-
बीमा दावों से अर्जित आय	145	-
बेचलर निवास वसूली से	154	-
कुल	112,138	100,637
संपूर्ण योग	3,936,929	1,964,171



नगद प्रवाह विवरण

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के लिए

रु ००० में

विवरण	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2012 तक
(अ) निवेश संबंधी गतिविधियों से नगद प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों का संयोजन/क्रय	(32,049)	(325,287)
पूँजीगत प्रगत्याधिन कार्य	(14,055,433)	(15,698,822)
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	(1,980,529)	(1,137,852)
लाम/हानि विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव	(209,137)	-
वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण व अग्रिम	(5,137,605)	(6,965,732)
वर्तमान देयताएँ व प्रावधान	1,000,600	2,373,005
निवेश संबंधी गतिविधियों से शुद्ध नगद प्रवाह	(20,414,153)	(21,754,688)
(ब) वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह		
जारी शेयर पूँजी से प्राप्त राशि	1,964,000	5,368,930
ऋण से प्राप्त राशि	4,646,250	6,440,000
शेयर पूँजी के संदर्भ में प्राप्त अग्रिम राशि		
एन आर एल, ऑयल, गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा असम सरकार की ओर से	(1,619,550)	268,400
भारत सरकार से प्राप्त पूँजीगत अनुदान	15,685,721	8,825,655
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नगद प्रवाह	20,676,421	20,902,985
नगद व नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (अ + ब)	262,268	(851,703)
प्रारंभिक नगद व नगद समतुल्य	1,394,486	2,246,189
समापन नगद व नगद समतुल्य	1,656,754	1,394,486
समापन नगद व नगद समतुल्य बही के अनुसार	1,656,754	1,394,486
टिप्पणी		
संशोधित अनुसूची VI के तहत नगद व नगदस		
चालू खाता जमा	816,541	318,425
प्रतिबंधित नगद		
माहसे अधिक सावधि जमा		
माह से कम के सावधि जमा	590,203	410,050
निलंब खाता जमा	250,010	666,011
Total	1,656,754	1,394,486

हस्ता./-
(पी एन प्रसाद)
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
(एस. वेक्टरमण)
निदेशक

हस्ता./-
(एके तिवारी)
प्रमुख वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(रुली दास सेन)
कंपनी सचिव

हमारे समदिनांकित पृथक प्रतिवेदन के अनुसार

हेतु दास एण्ड शर्मा
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म नं : 314214 ई
हस्ता.
(विनय कुमार दास)
भागीदार
सद सं. 51898

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 20-05-2013



बैलेंस सीट एक्सट्रेक्ट और कंपनी के जनरल बिजनेस प्रोफाइल 31 मार्च 2013 वर्ष की समाप्ति तक

i. पंजीकरण ब्यौरा

पंजीकरण संख्या	008290
तुलनपत्र तारीख	31.03.2013

राज्य कोड	02
-----------	----

ii. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी ('000 रु में)

सार्वजनिक निर्गम	शून्य
बोनस निर्गम	शून्य

अधिकार निर्गम	शून्य
नियोजन	344,450

iii. निधियों के एकत्रीकरण व विनियोजन की स्थिति ('000 रु. में)

कुल देयताएँ	69,286,413
-------------	------------

कुल परिसंपत्तियाँ	69,286,413
-------------------	------------

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी	10,579,503
शेयर कैपिटल के बदले एडवांस	1,046,549
रक्षित ऋण	12,270,000
विलंबित कर	शून्य

आरक्षित व अधिशेष पूंजी	36,927,872
------------------------	------------

अरक्षित ऋण	2,500,000
------------	-----------

निधियों का प्रयोग

शुद्ध अचल संपत्तियाँ	54,809,296
शुद्ध वर्तमान संपत्तियाँ	8,475,987
संचित हानि	शून्य

निवेश/निवेश के लिए अग्रिम	शून्य
विविध व्यय	38,640

iv. कंपनी का प्रदर्शन

कुल बिक्री	शून्य
कर पूर्व लाभ (हानि)	शून्य
प्रति शेयर आय (`)	शून्य

कुल व्यय	शून्य
कर पश्चात लाभ हानि	शून्य
लाभांश	शून्य

v. प्रधान उत्पादों/कंपनी की सेवाओं का सामान्य नाम (वित्तीय शब्दानुसार)

मद कोड	शून्य
उत्पाद विवरण	अब तक व्यापार प्राप्त नहीं

हस्ता./-
(पी एन प्रसाद)
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
(एस. वैकटरमण)
निदेशक

हस्ता./-
(एके तिवारी)
प्रमुख वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(रुली दास सेन)
कंपनी सचिव

हमारे समदिनांकित पृथक प्रतिवेदन के अनुसार

हेतु दास एण्ड शर्मा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म नं : 314214ई
हस्ता.
(विनय कुमार दास)
भागीदार
सद सं. 51898

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 20-05-2013



भारत के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड के ढांचागत वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्ति साविधिक लेखा परीक्षक अपनी व्यावसायिक निकाय अर्थात् दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा विहित लेखा परीक्षा तथा स्वीकार्य मानकों के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसका वर्णन उन्होंने अपने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांकित 20.05.2013 में किया है।

मैंने, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 619(13)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है यह साविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पृष्ठताछों तक सीमित है और कुछ लेखा संबंधी रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर कुछ भी ऐसी महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है, जिसके लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत साविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणी करना आवश्यक हुआ हो अथवा इसके लिए अनुपूरक प्रतिवेदन देना आवश्यक हुआ हो।

हेतु और भारत के नियंत्रक
एवं महालेखाकार की ओर से
हस्ता

(नंदना मुंशी)

प्रमुख निदेशिका

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा की प्रधान निदेशिका तथा

लेखा परीक्षा बोर्ड- की पदेन सदस्य

कोलकाता

दिनांक : 25 जून 2013

जगह : कोलकाता



दुलियाजान स्थित डिस्पेथ टर्मिनल और गैस डिहाइड्रेशन इकाई



मिटरींग सेक्षन



सब स्टेशन वैनल रूम



ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलिमर लिमिटेड

प्रोवशी (प्रतिनिधि) प्रपत्र

मैं/हम जिला के

उपरोक्त कंपनी का सदस्य को नियुक्त करता

हूँ कि मेरे प्रतिनिधि / हमारे प्रतिनिधि / मेरे / हमारे और से 29 आगस्त

2013 को आयोजित होने वाली कंपनी के 6 वार्षिक अथवा किसी भी स्थगन पर मतदान करें।

हस्ताक्षर करे तिथि 2013

1 रूपए का
रेज्यू स्टॉप
चिपकाएं





ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पॉलीमर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

होटल ब्रह्मपुत्र अशोक

एम जी रोड, गुवाहाटी-781001